खण्ड–34, अंक–08
बुधवार, 16 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(दिनांक 06 जून, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय– सूची

06–06–2012

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	''क''
प्रश्नोत्तर	1–49
बजट साहित्य उपलब्ध न होने के कारण श्री मदन कौशिक स0वि0स0 द्वारा उठया गया व्यवस्था का प्रश्न	50–51
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग	51–53
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	53–54
प्रदेश में रमसा योजना के तहत रा0जू0हा0 का उच्चीकरण भारत सरकार के सहयोग से किया जाता है जू0हा0 स्कूलों का उच्चीकरण होने से उनमें पदों का सृजन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद पौड़ी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय जनता इण्टर कालेज कांडाखाल एवं जनता इण्टर कालेज किनसार में विज्ञान विषय की मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54–55
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत वर्षों पूर्व स्वीकृत पेयजल योजनाओं का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद हरिद्वार के लालढांग से मीठी बेरी तक पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद देहरादून के रायपुर मार्ग के लम्बे समय से जीर्ण–शीर्ण होने से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	56
विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत ग्राम बजलाड़ी विकास खण्ड नौगांव में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अर्न्तगत रामगढ़. धारी, भीमताल, ओखलकांडा में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण आलू की फसल नष्ट होने एवं किसानों को फसल की बीमा राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	57

विषय	पृष्ठ संख्या
केन्दीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010–11 का वार्षिक लेखा तथा केन्द्रीय अधिनियम, 2003 की धारा–105 (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	57
... ...	57–58
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	
प्रदेश के अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यगणों की गरिमा एवं अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, स0वि0स0	58–59
द्वारा उठाया गया औचित्य का प्रश्न	59–69
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	69–73
वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा.. ..	
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग	74–77
श्री डी0के0 जोशी, नौ सेना प्रमुख के शीघ्र ही पद भार ग्रहण किये जाने का बधाई संदेश	77–78
वित्तीय वर्ष, 2012–13 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) (समाप्त)	78–80
वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं	80
मतदान :–	80
अनुदान संख्या–05 निर्वाचन	81
अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं	81–82
अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	82
अनुदान संख्या–18 सहकारिता	82–83
अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़	83
अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	83–84
अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास	84
अनुदान संख्या–25 खाद्य	84
अनुदान संख्या–26 पर्यटन	85
अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास	85
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद देहरादून में बरसात में रिस्पना व बिन्दाल नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु दोनों नदियों के किनारों पर जाल व पुश्ते लगाने की कार्यवाही बरसात से पूर्व किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	86
विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हरशीला पुडकूनी, रिखाड़ी–वाछम, धरमपुर, चुचेर–माज खेत तथा चुडियाधार–फरशाली–गुलेर मोटर मार्गों को पक्के मोटर मार्गों में परिवर्तित न करने से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	87–88

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री गणेश गोदियाल
10—श्री गणेश जोशी
11—श्री चन्दन राम दास
12—श्री चन्द्र शेखर
13—डा0 जीत राम
14—श्री तीरथ सिंह
15—श्री दलीप सिंह रावत
16—श्री दान सिंह भण्डारी
17—श्री दिनेश अग्रवाल
18—श्री दिनेश धनै
19—श्री नवप्रभात
20—श्री नारायणराम आर्य
21—श्री पुष्कर सिंह धामी
22—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
24—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह
26—श्री प्रीतम सिंह पंवार
27—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28—श्री प्रेम सिंह
29—श्री फुरकान अहमद
30—श्री बंशीधर भगत
31—श्री भीमलाल आर्य
32—श्री मदन कौशिक
33—श्री मदन सिंह बिष्ट
34—श्रीमती सरिता आर्या
35—श्री मनोज तिवारी
36—श्री मयूख सिंह
37—श्री महावीर सिंह
38—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
39—श्री यतीश्वरानन्द
40—श्री यशपाल आर्य
41—श्री माल चन्द
42—श्री राजकुमार
43—श्री राजकुमार ठुकराल
44—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
45—श्री राजेश शुक्ला
46—श्री ललित फर्स्वाण
47—श्री विक्रम सिंह नेगी
48—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
49—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50—श्री बिशन सिंह चुफाल
51—श्रीमती शैला रानी रावत
52—श्री संजय गुप्ता
53—श्री सरवत करीम अंसारी
54—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
55—श्री सुबोध उनियाल
56—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59—श्री हरक सिंह रावत
60—श्री हरबन्स कपूर
61—श्री हरभजन सिंह चीमा
62—श्री हरीश धामी
63—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64—श्री हेमेश खर्कवाल
65—श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''
66—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
67—श्री हरिदास
68—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर

बुधवार, दिनांक 06 जून, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त विशेष श्रेणी दर्जा की सुविधा

**1–श्री मदन कौशिक–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य का विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है ?

यदि हाँ तो, कब ?

क्या सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के अन्तर्गत राज्य को जो सुविधायें भारत सरकार द्वारा दी जा रही थी, क्या सभी सुविधायें समाप्त कर दी गई हैं?

यदि हाँ, तो विशेष श्रेणी राज्य हेतु सरकार ने कोई प्रयास किये हैं?

यदि हाँ, तो क्या परिणाम रहे हैं ?

नियोजन मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विशेष श्रेणी का दर्जा इस राज्य को दिया गया था तो उसमें जो योजनाएं भारत सरकार की थी वह 90 और 10 के रेशियों में थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं वर्तमान में जिसे उन्होंने 90 और 10 के रेशियो में कम किया है, किसमें उन्होंने 40–60 किया है, 70–30 किया है ? मैं पूछना चाहता हूँ कि वह कितनी योजनाएं हैं ? उनको करने का क्या कारण है ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारे यहाँ जो 19 योजनायें हैं वह 90–10 के अनुपात में हैं और 38 योजनाएं जो है वह ऐसी हैं जिन्हें मैं पूरा पढ़कर बता देता हूँ उसमें फसल बीमा योजना, जो कृषि की है वह 50–50 के अनुपात में है, सांख्यकीय प्रकोष्ठ की स्थापना, जो कि पशुपालन से है वह 50–50 में है, पशु रोग नियन्त्रण जो पशुपालन में है उसमें 75–25 का है, पशुधन परिषद की स्थापना जो पशुपालन में है उसमें 50–50 में है, मत्स्य पालक विकास एजेन्सी जो मत्स्य में है उसमें 75–25 का अनुपात है, शीत जल मत्स्य विकास में 75–25 में है, प्रशिक्षण एवं प्रसार, जो कि मत्स्य में है इसमें 80–20 का अनुपात है, राष्ट्रीय मत्स्य पालक कल्याण योजना, जो कि मत्स्य से है इसमें 50–50 का अनुपात है, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि वन से है इसमें 80–20 का अनुपात है, तो इस तरह से 38 योजनाएं हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार में गये थे और उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन किया था कि हमारे यहाँ जिन योजनाओं को 90–10 से हटाकर 90–60–40 या 50–50 में कर रहे हैं उनको न किया जाए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वे योजनाएं कौन–कौन सी हैं ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने बताया कि हमारे यहाँ 38 योजनाएं हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी, माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार में गये और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से केन्द्र पोषित योजनाओं को 90–10 में वित्त पोषित करने का आग्रह भारत सरकार से किया गया है। मान्यवर, 24 जुलाई, 2010 को सम्पन्न राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में और दिनाँक 22 अक्टूबर, 2011 को सम्पन्न राष्ट्रीय विकास परिषद की 56 वीं बैठक में 90–10 करने का राज्य सरकार की ओर से प्रयास किया गया। वह प्रयास पूर्ववर्ती सरकार ने भी किया और वर्तमान में भी जो सरकार है वह बराबर इसका प्रयास कर रही है, यें जो 38 योजनाएं हैं इनको भी 90–10 के अनुपात में हमको किया जाए और प्लानिंग कमीशन ने हमको इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होगी उसमें हम इसको पुनर्विचार करके करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है। अभी यहाँ पर श्री जयराम रमेश जी आये थे उनको भी इस बात के लिए कहा गया है वे इन योजनाओं को 90–10 में कर दें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो योजनाएं अभी 90–10 में नहीं हैं, उनके कारण प्रदेश को लगभग प्रतिवर्ष कितना लॉस हो रहा है?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने पूछा कि जो नहीं हैं, जो हमारे पास योजनाएं हैं उसमें मैचिंग तो हम कर ही रहे हैं, उसमें अगर 50–50 का है तो 50 परसेन्ट स्टेट गवर्नमेण्ट वहन करती है। वर्तमान में जो हमारा एनुवल प्लान वर्ष 2011–12 का है उसमें 692 करोड़ रुपया स्टेट शेयरिंग हुआ है। यदि 90–10 की हमारी मैचिंग होती है तो हमको 240 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और हमको 451 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, जो विशेष राज्य के दर्जे की अधिसूचना थी, उसमें कौन–कौन सी सुविधाएं इस राज्य को विशेष दर्जे के तहत मिलेंगी, एक सवाल तो मेरा यह है और दूसरा यह है कि यदि वह अधिसूचना थी और विशेष राज्य के दर्जे के तहत मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणाचल और हिमाचल जैसे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड था तो जो 90–10 का रेशियों हमको मिलता था। मान्यवर, वो नहीं मिला क्योंकि अभी आपने कहा कि 19 योजना और 38 योजना। श्रीमन्, 38 योजनाएं चाहे 25 प्रतिशत हो, 50 प्रतिशत हो, 75 प्रतिशत हो या 90 प्रतिशत, यह तो पूरे देश के लिए हैं, यह केवल उत्तराखण्ड के लिए नहीं हैं। परन्तु जो 90 और 10 के रेशियो वाली योजनाएं हैं, यह विशेष राज्य के अन्तर्गत दिया जाता है। मेरी अपेक्षा यह है कि वह अधिसूचना क्या है, जिसमें हमें सुविधाएं मिली हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि यह सुविधाएं मिली हैं तो इसमें जो चिन्हित हैं वो कितने राज्यों को मिल रही हैं और हमें कौन–कौन सी योजनाएं नहीं मिल रहीं हैं ? मेरा तीसरा प्रश्न है कि जो नहीं मिल रहा है उसके और जैसा माननीय श्री मदन कौशिक जी ने कहा कि जो बीच की क्षति हैं क्योंकि दो वर्ष पहले 2400 करोड़ रू0 की थी, जोकि आकलित थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बकायदा यहाँ से सरकार ने भेजा था कि 90 और 10 प्रतिशत के बीच जो आप हमें अनुमन्य नहीं कर रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे के तहत, वह जो पहले 2400 करोड़ था, अब बढ़कर कितना हो गया है ? मेरा चौथा प्रश्न है कि औद्योगिक पैकेज जो इस राज्य को विशेष राज्य के दर्जे का है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मूल प्रश्न पर ही पूछें।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, मूल प्रश्न ही है। मूल प्रश्न पर ही विशेष राज्य का दर्जा है और मैं उसी पर अपनी बात कर रहा हूँ, इधर–उधर नहीं बोल रहा हूँ। विशेष राज्य के तहत जो औद्योगिक पैकेज मिला था, वह कब तक के लिए मिला था और उसे क्यों छीना गया? अब उस दिशा में यह सरकार क्या काम कर रही है? इन चारों सवालों का उत्तर माननीय मंत्री जी देना चाहें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, राष्ट्रीय विकास परिषद की 01 सितम्बर, 2000 को सम्पन्न हुई बैठक में भारत सरकार के योजना आयोग ने 21 जनवरी 2002, को जारी कार्यालय ज्ञाप से उत्तराखण्ड राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया था तथा वित्तीय वर्ष 2001 से 2002 से यह यह दर्जा प्रभावी माना गया। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य को अन्य विशेष श्रेणी राज्यों को अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की तरह ही सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, यह इसमें है। मान्यवर, अब 90:10 का रेशियों है। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, अन्य राज्यों की तरह जो विशेष राज्य की सुविधाएं मिल रही हैं, वह क्या हैं, बता दें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें 90:10 रेशियो वाली 19 योजनाएं है। मैं आपको बता रहा हूँ। मान्यवर, विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने हेतु 19 केन्द्र पोषित योजनाएं 90 और 10 के अनुपात में वित्त पोषित हो रही हैं। मेक्रो फोर्ड योजना कृषि की है, सपोर्ट टू स्टेट एक्टेंशन प्रोग्राम। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है ये 19 योजनाएं तो हैं, यदि अन्य राज्यों को शत प्रतिशत योजनाएं केन्द्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाएं विशेष राज्य के अन्तर्गत मिल रही हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रही हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। यह राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चाहे इधर के माननीय विधायक हों या उधर के माननीय विधायक, सब की चिंता है। मान्यवर, पहले यह परेशानी आती थी कि केन्द्र में दूसरे दल की सरकार है, परन्तु अब एक ही दल की सरकार है।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधा प्रश्न करें।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, प्रश्न सीधा ही है। जब अधिसूचना विशेष राज्य के दर्जे के अनुरूप होगी तो फिर हमें सारा लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मान्यवर, लगभग तीन हजार करोड़ रू0 इस राज्य का जो केन्द्र सरकार को देना है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, मैं सीधा प्रश्न ही कर रहा हूँ। मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये। हमें ई0ए0पी0 से जो 90 और 10 का रेशियो मिलता है, वह जो पैसा मिला वह 4064 करोड़ रू0 मिला है। आपने कहा कि इससे राज्य को जो हानि हो रही है तो इससे हम सब चिंतित हैं। मान्यवर, अन्य योजनाओं में भी जो 90 और 10 का रेशियो होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपने भी प्रयास किया है और हम भी प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, इस राज्य के लिए हमारी भी चिन्ता है, हम भी चाहते हैं और इसमें हम आपका सहयोग भी चाहते हैं। हमारी चिन्ता भी यह है कि इस राज्य को 90–10 के रेशियो में पैसा मिले, जिससे राज्य को जो वित्तीय हानि हो रही है, वह हानि न हो और राज्य के हित में वह पैसा लगे। मान्यवर, दूसरा आपने जो औद्योगिक पैकेज की बात कही थी, वह वर्ष 2003 से 2013 तक मिलना था लेकिन यह वर्ष 2010 में समाप्त हो गया है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, मैं दोबारा अपने प्रश्नों को दोहरा देता हूँ। मान्यवर, वह अधिसूचना केवल योजनाओं से सम्बन्धित नहीं है। अन्य राज्यों को सीधा–सीधा अनुदान मिलता है। योजनाओं में तो इस राज्य के साथ अन्याय हो ही रहा है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में है, तो उनको सीधा–सीधा क्या अनुदान मिल रहा है उनके अनुपात में हम कहाँ खड़े हैं ? हमारे साथ तो केवल योजनाओं में ही नहीं सीधा–सीधा जो अनुदान मिलता है, उसमें भी भेदभाव हो रहा है, इसलिए उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह क्या–क्या हैं, जो हमको नहीं मिल रही हैं। श्रीमन्, मैंने पूछा था कि इसको अगर गवर्नमेंट ने आकलित किया होगा, तो वह कुल कितनी धनराशि बनती है ? ये दो बातें मैंने कही थी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लगातार इसमें प्रयास करते रहे हैं। यदि इसमें माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी का विशेष प्रयास न होता तो हम 70–30 के रेशियो में आ गये होते। 90–10 के लिए जो विशेष प्रयास हुआ मैं उसकी गवाह हूँ, इसलिए इतनी योजनाओं पर हमको 90–10 का रेशियो दिया गया। नॉर्थ ईस्ट की श्रेणी में केन्द्र की वर्तमान सरकार ने या किसी भी सरकार ने, चाहे वह पूर्ववर्ती एन0डी0ए0 की सरकारें हों, उस श्रेणी में उन्होंने हमको नहीं रखा। हम 90–10 की श्रेणी में आए लेकिन वे नॉर्थ ईस्ट के साथ तुलना करने को तैयार नहीं हैं। इस पर बड़ी–बड़ी बहस मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हो चुकी है। जहाँ तक सवाल है यदि हम 70–30 में रहते, लेकिन हम 90–10 में हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन जो अन्य योजनाएं हैं, उनके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे कि उनमें भी हमको 90–10 के रेशियो में दे दें। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं, आपके समय में भी, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं ? इसलिए विशेष औद्योगिक दर्जा जो घटा, वह तो पता नहीं क्यों हुआ लेकिन जब मैं उन बैठकों में गई माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए, तो सभी राज्य खड़े हो जाते थे, हमारे पड़ोस में यू0पी0 से लेकर पंजाब से लेकर छोटे–बड़े सब राज्य, कि अकेले इन्हीं को ही विशेष औद्योगिक पैकेज क्यों देंगे, हमारे राज्य का औद्योगिक पैकेज समाप्त हो रहा है, यह लड़ाई होती है। राष्ट्र के सामने प्रधानमंत्री और देश की सरकार के सामने ऐसे बिन्दु आ जाते हैं कि उन पर राज्यों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें भी ईल्ड करना पड़ा उसमें। हमें 90–10 में जो 19 योजनाएं मिली हैं, उसके लिए हमने धन्यवाद दिया उस समय सरकार को, कि 70–30 न होकर 90–10 है। इसमें लिखा है कि वह 70–30 हो जाता यदि हम उससे पहले 90–10 न ले लेते। जिससे हम आराम से राज्य में 90 प्रतिशत पैसा उनसे लेकर और 10 प्रतिशत पैसा खुद देकर अपना काम चला सकते हैं। पैसा कितना क्या यह तो सबको मालूम है कि इससे कितना लाभ हुआ। लाभ क्या होता है, वह खर्च के लिए होता है। दूसरे राज्यों के मुकाबले हमें 90–10 से जो लाभ हुआ, तो उसे हमें अन्य जगह खर्च करना पड़ा। यह तो व्यवस्था है, यह आप जानते हैं।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कितनी आसानी से कह दिया कि सभी राज्य खड़े हो जाते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–1 पर माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला का नाम पुकारा गया।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय भगत जी, मुझे अवसर मिला उन बैठकों में जाने का, वहाँ सभी राज्य इस बात पर खड़े हो जाते हैं।

श्री रमेश पौखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, क्या कोई अधिसूचना 70–30 की हुई है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप इम्तिहान लेना चाह रहे तो ले लीजिए और यदि जवाब लेना चाहते हैं तो दे दिया है हमने। (व्यवधान) मान्यवर, 70–30 की अधिसूचना होने से पहले माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने प्राइम मिनिस्टर से बात करके 90–10 करा लिया था।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, हम यह कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक पैकेज वर्ष 2013 तक था लेकिन वर्ष 2010 तक कर दिया गया। क्यों कर दिया, यह पता तो चले।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी सरकार थी, आप पता करते।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, इस पर हम धरने में बैठे थे। मान्यवर, प्रश्न 70 और 30 का नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय 'निशंक' जी, अगला प्रश्न आ गया है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इसमें बिलकुल भी गंभीर नहीं है, औद्योगिक पैकेज जैसे विषय के लिए, जो माननीय 'निशंक' जी ने उठाया है, उसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। मान्यवर, एक सरकार वह थी जिसने औद्योगिक पैकेज दिया, वर्ष 2013 तक और एक सरकार वह आई, जिसने उसको वर्ष 2007 किया, फिर हम लड़े और उसे वर्ष 2010 कराया, औद्योगिक पैकेज पर सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गये।)

तारांकित प्रश्न

जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य भूमि सुधार चकबन्दी रोकने सम्बन्धी

*1–श्री राजेश शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में जब पूर्व से ही मास्टर प्लान (विनियमित क्षेत्र अधिनियम) के रूप में एक भूमि सुधार कानून लागू है तो वहां एक अन्य भूमि सुधार चकबन्दी किन परिस्थितियों में कराई जा रही है?

क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चकबन्दी रोकने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व एवं सहकारिता, आपदा प्रबन्धन, सिंचाई मंत्री, (श्री यशपाल आर्य)–

विधिक रूप से चकबन्दी केवल उन नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र या टाउन एरिया में नहीं करायी जा सकती, जो 07 जुलाई, 1949 के पहले गठित किये गये हों। किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर वर्ष 1971 में टाउन एरिया एवं 1985 में नगरपालिका क्षेत्र बना। अतः किच्छा में चकबन्दी कराये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व ग्राम किच्छा में आबादी क्षेत्र के अतिरिक्त कृषि योग्य क्षेत्र भी है। स्थल पर प्रारम्भिक चकबन्दी योजना पूर्ण हो चुकी है। नए बने चकों में काश्तकार काबिज हो चुके हैं। योजना के अनुरूप नये चकमार्ग/सड़कें आदि भी बना ली गई हैं। इस प्रकार किच्छा क्षेत्र में चकबन्दी अन्तिम चरण में है एवं इसे अब रोका जाना व्यवहारिक एवं विधिक रूप से सम्भव नहीं है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि "राजस्व ग्राम किच्छा में आबादी क्षेत्र के अतिरिक्त कृषि योग्य क्षेत्र भी है।" इस पर मेरा यह प्रश्न है कि, जहां तक मैं समझता हूँ चकबन्दी किसानों के अलग–अलग खेतों को एक जगह पर लाने के लिए की जाती है, जो मेरी जानकारी के अनुसार किच्छा में 90 प्रतिशत आबादी हो चुकी है तथा 10 प्रतिशत भी कृषि भूमि नहीं है। तो वहां पर जो चकबन्दी हो रही है, वह सीधे–सीधे भू–माफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए हो रही है। क्योंकि जो लोगों के थोड़े–बहुत खेत बच गये हैं, उनको नदी के किनारे फेंककर, उस भूमि पर प्लाटिंग करने के लिए यह कार्य हो रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि किच्छा राजस्व ग्राम में कितने प्रतिशत आबादी की भूमि है और कितने प्रतिशत कृषि की भूमि है?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया है कि किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में 1986 में चकबन्दी लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न नहीं था, आपने अपने उत्तर में लिखा है कि "राजस्व ग्राम किच्छा में आबादी क्षेत्र के अतिरिक्त कृषि योग्य क्षेत्र भी है।" मैं आपसे विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूँ कि किच्छा राजस्व ग्राम में कितने प्रतिशत आबादी की भूमि है और कितने प्रतिशत कृषि की भूमि है?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, किच्छा में मुख्य आबादी वर्ष 2004 के बाद हुई और वर्तमान में चकबन्दी अन्तिम चरण में है तथा आबादी का सर्वे नहीं हुआ है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आपको विभागीय अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है, यह गुमराह करने वाली है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी अधिकारियों से एक बार और जांच करवा लें, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजस्व ग्राम किच्छा में कितने प्रतिशत आबादी की भूमि है और कितने प्रतिशत कृषि की भूमि है? क्योंकि यह मेरी जानकारी में है कि चकबन्दी कृषि भूमि हेतु की जाती है और इसका मकसद यह होता है किसानों के बिखरे हुए चकों को एक जगह पर इकट्ठा करवाना। जब वहां पर किसानों के पास खेत बचे ही नहीं हैं जो थोड़े–बहुत खेत बचे हैं उनको भू–माफिया कब्जाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको रोका जाए।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैंने पूर्व में माननीय सदन को अवगत कराया कि चकबन्दी अन्तिम चरण में है और वर्ष 2005 में माननीय उच्च न्यायालय में इसके लिये चुनौती भी दी गई तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सम्पूर्ण विषय पर संचालक चकबन्दी याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन का निस्तारण करें। आयुक्त/संचालक चकबन्दी उत्तराखण्ड ने अपने आदेश दिनांकः 13–07–2007 मे किच्छा में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं पाया और याचिकाकर्ताओं का प्रस्तावेदन अस्वीकार कर दिया गया, संचालक चकबन्दी द्वारा अपने आदेश में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया है, जमींदारी विनाश अधिनियम तथा जोत चकबन्दी अधिनियम के अनुरूप ग्राम किच्छा में चकबन्दी किये जाने के लिए अधिसूचना/विज्ञप्ति वैध है। ग्राम किच्छा में चकबन्दी का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

मान्यवर, चकबंदी प्रक्रिया के अंतिम स्तर चकबंदी रोके जाने की प्रत्यावेदकों की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। कुछ याचीगण सार्वजनिक उपयोग की भूमियों, नदी, गूल आदि पर काबिज पाए गए हैं, जिस कारण उनके द्वारा चकबंदी रोके जाने की मांग की जा रही है। ग्राम किच्छा के सम्बन्ध में विभिन्न चकबंदी न्यायालयों द्वारा 1800 से अधिक वादों का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे में कृषक विरोध के कारण चकबंदी रोके जाने की मांग उचित नहीं है। वैधानिकता शून्य हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं इसमें एक प्रश्न और आपसे जानना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि क्या माननीय मंत्री जी अवगत हैं कि गाटा संख्या 125, मैं स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूँ आपसे, गाटा संख्या–125 जो आबादी में दर्ज है, इस चकबंदी की आड़ में उसमें दाखिल–खारिज कर दी गयी है खेती की भूमि के रूप में। वहां बहुत बड़ी धांधली हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ (व्यवधान) चकबंदी रोकने हेतु हमें आश्वासन दीजिए। आप इसका परीक्षण करा लीजिए।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, चकबंदी अंतिम चरण में है। धांधली का प्रश्न ही नहीं उठता है। (व्यवधान) चकबंदी अंतिम चरण में है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि 125 गाटा संख्या में जो, स्पेसिफिक सवाल है, जो आबादी में दर्ज है मान्यवर, वहां पर दाखिल–खारिज हो रही है। एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला हो रहा है। मान्यवर, सिडकुल आने के बाद क्योंकि किच्छा की भूमि की कीमत बढ़ गयी है। इसलिए भू–माफिया वहां पर चकबंदी करा कर अनावश्यक रूप से लोगों का उत्पीड़न करके, लोगों की जमीन छीन रहे हैं। मेरा सवाल है कि इसे कब तक रोकेंगे आप? तत्काल इस पर रोक लगाकर, इसको एग्जामिन कराइये।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसका विस्तृत सर्वे नहीं हुआ है। प्रत्येक गाटा का विवरण अलग दिया जाना संभव नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, नगर पालिका क्षेत्र का चकबंदी कराया जाना, ये तो होता ही नहीं है। आज तक नहीं देखा गया। चकबंदी हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की होती है। जब एक नगर पालिका घोषित हो गयी और नगर पालिका है, उस नगर पालिका क्षेत्र में अगर चकबंदी चल रही है तो मैं नहीं समझता कि सरकार का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करने के बावजूद सरकार इसका उत्तर नहीं दे पा रही है कि जोत क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना कहाँ तक न्यायोचित है, जबकि वह नगर पालिका क्षेत्र है यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि (व्यवधान) यह भू–माफियाओं का एक दौर चल पड़ा है।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न करिये।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि क्या यह चकबंदी नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत भी हो रही है या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर हो रही है?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट कहना है कि चकबंदी नगर पालिका क्षेत्र में भी हो रही है और नगर पालिका के बाहर भी हो रही है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, क्या नगर पालिका क्षेत्र में जो क्षेत्र नगर पालिका के अन्तर्गत अधिसूचित होता है। क्या नगर पालिका के अन्तर्गत चकबंदी की जा सकती है, एक सवाल तो यह है। क्या पालिका को जो अधिसूचित होता है क्षेत्र, क्या उस अधिसूचित क्षेत्र के अंदर चकबंदी की जा सकती है? नम्बर–1, नम्बर–2, यदि यह तथ्य माननीय विधायक द्वारा साक्ष्य दिये जा रहे हैं, माननीय विधायक हैं, गणमान्य विधायक हैं, वो पूरे भरोसे के साथ इस बात को रख रहे हैं, यदि नहीं की जा सकती है नगर पालिका के क्षेत्र में, तो फिर यदि हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी तत्काल उसे बंद करेंगे? नम्बर–3, यदि माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि वो बहुत पहले से चली आ रही है। तो क्या तब से चली आ रही है जब नगर पालिका अधिसूचित नहीं हुई थी। तब से चली आ रही है और जिस दिन नगर पालिका अधिसूचित हो गयी तो स्वतः उसकी कार्यवाही खत्म हो जानी चाहिए? तो श्रीमन्, इन तीनों विषयों के बारे में बता दें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट कहना है कि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–1 में 1950 के बाद नगर पालिका में चकबंदी हो सकती है। दूसरा जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा, गाटा संख्या 125 में हुए नामांकन की जांच करा ली जाएगी।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आप जिस जमींदारी एक्ट की बात कर रहे हैं जिसके कि नगर क्षेत्र में चकबंदी हो सकती है। थोड़ा सा पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। मान्यवर, क्योंकि अभी तक हमारी जानकारी सिर्फ यह है कि नगर क्षेत्र में नगर पालिका के अन्तर्गत जो क्षेत्र अभिसूचित हो जाते हैं उसमें चकबन्दी नहीं होती है। कृषि के क्षेत्र में होती है। यदि वह कोई एक्ट है तो उसकी थोड़ा धारा को स्पष्ट कर दें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कहा जा सकेगा। इसका प्रसार उन क्षेत्रों को छोड़कर जो 7 जुलाई, 1949 को संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अधीन किसी नगर पालिका या नोटीफाइड एरिया के या कन्टोनमेन्ट अधिनियम, 1924 के अधीन किसी कन्टोनमेन्ट के अथवा संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत हों, समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, यह 1950 का एक्ट है उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में भी चेंज हो गया। इसमें थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि इसको दिखवा लें, जब तक आप इससे आश्वस्त होते हैं, जब तक जो माननीय विधायक जी ने कहा आप इसे रोक सकते हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैंने कहा कि अनुच्छेद संख्या–125 में हुए नामांकन की जाँच कराई जाएगी।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, चकबन्दी एक भूमि सुधार कानून है, और नगर पालिका क्षेत्रों में और उसके आस–पास ग्रामीण क्षेत्रों में जो विनियमित क्षेत्र आता है। विनियमित क्षेत्र भी एक तरह का भूमि सुधार है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत किच्छा नगर पालिका और उसके आस–पास के क्षेत्रों में जिस जगह को मास्टर प्लान क्षेत्र में तय कर दिया है कि यहाँ पार्क होगा, यह औद्योगिक प्रयोजन के लिए होगा, ये आबादी के लिए होगा। अगर ऐसे में चकबन्दी के जरिये वहाँ पर गाटा संख्या बदली जा रही है और जो क्षेत्र मास्टर प्लान में बाद के लिए छोड़ा गया है, जो क्षेत्र मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए छोड़ा गया है, अगर चकबन्दी में वहाँ दूसरा काश्तकार आ रहा है तो ये जो एक ही भूमि पर दो भूमि सुधार लागू हो गये हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि दो भूमि सुधारों में से कौन सा प्रभावी होगा ? आखिर चकबन्दी कराने का क्या औचित्य है? जब वहाँ पर 90 प्रतिशत आबादी हो गई है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसको देख लिया जाएगा।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, वहाँ की करोड़ों रुपये की भूमि की बंदर बाँट हो रही है, लूट हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ जब तक इसकी जाँच हो, अगर इसको खत्म नहीं कर रहे हैं तो तब तक चकबन्दी को स्टे कर दें। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसका प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि चकबन्दी अन्तिम चरण में है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, वहाँ पर भू–माफिया लूट रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट कहना है कि भू–माफियाओं को संरक्षण देने के लिए इसमें इतनी बहस की जा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि कब तक इसका परीक्षण हो जाएगा? (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, नम्बर परिवर्तन होंगे, उपयोग परिवर्तन नहीं होंगे, चकबन्दी भू–व्यवस्था का अंग है। जहाँ–जहाँ जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू है वहाँ चकबन्दी की जा सकती है। मैं बार–बार आपसे इस बात को कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–1 पर अब किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

प्रदेश के समस्त न्याय पंचायतों में मिनी बैंकों की स्थापना

*2–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त न्याय पंचायतों में जनता की सुविधा हेतु क्या सरकार मिनी बैंकों की स्थापना किए जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

राज्य की कुल 758 प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा संचालित मिनी बैंकों व उनकी शाखाओं/विस्तार पटल द्वारा पूर्व से ही प्रदेश की समस्त 670 न्याय पंचायतों को आच्छादित किया जा चुका है।

श्री दान सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पैक्स द्वारा सम्बन्धित कितने मिनी बैंक और विस्तार पटल मेरे विधान सभा क्षेत्र भीमताल में संचालित हैं ? प्रश्न नम्बर–2 उनमें कर्मचारियों की कितनी संख्या है ? प्रश्न नं0–3 कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, नैनीताल जनपद के सम्बन्ध में कह रहा हूँ, न्याय पंचायतों में 44 संचालित मिनी बैंक तथा उनकी शाखायें आच्छादित हैं। प्रारम्भिक मिनी सहकारी समितियों की संख्या 53 है तथा समिति द्वारा संचालित मिनी बैंकों की संख्या 69 है और समितियों द्वारा संचालित मिनी बैंकों में जमा धनराशि 6.088 लाख रुपये और समिति द्वारा संचालित मिनी बैंकों में जमाकर्ताओं की संख्या 42180 है।

श्री अजय टम्टा –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूँ। क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि समस्त न्याय पंचायतों में जनता की सुविधा हेतु क्या सरकार मिनी बैंकों की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है ? सरकार की तरफ से जवाब आया 'जी नहीं' और नीचे उत्तर दिया है कि 670 न्याय पंचायतों को आच्छादित कर दिया गया है। जबकि माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है कि मिनी बैंकों की स्थापना हर न्याय पंचायत में की जाएगी ? उसके उत्तर में 'जी नहीं आ रहा है।' वहीं उसी प्रश्न के उत्तर में आ रहा है कि 670 न्याय पंचायतों में मिनी बैंकों की स्थापना की जा चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यहां पर दो प्रकार के उत्तर आएं हैं। इनमें से कौन से उत्तर को ठीक माना जाए। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जनता की सुविधा के लिए मिनी बैंकों की स्थापना की गई है। प्रश्न नहीं उठता है कि आगे मिनी बैंकों को खोलेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सवाल यह था कि टोटल न्याय पंचायत कितनी हैं ? क्या टोटल न्याय पंचायतों में मिनी बैंक देंगे ? आपने कहा कि नहीं आप बाद में कह रहे हैं कि 670 में स्थापना हो गई है। इन दोनों उत्तर में पहला सही है या बाद का उत्तर सही है। (घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, प्रश्न यह था कि क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त न्याय पंचायतों में जनता की सुविधा हेतु क्या सरकार मिनी बैंकों की स्थापना किए जाने पर विचार कर रही है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने कहा, जी नहीं।

श्री अजय टम्टा–

माननीय मंत्री जी आपने कहना चाहिए था कि पूरे न्याय पंचायतों में मिनी बैंक को आच्छादित कर चुके हैं। यह जवाब आना चाहिए था। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि 670 न्याय पंचायतों को आच्छादित किया जा चुका है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, टोटल न्याय पंचायत कितनी हैं ? इसमें आपकी गलती नहीं है। यह अधिकारियों की गलती है। (कई माननीय सदस्यगण एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया) (घोर व्यवधान में मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, 670 न्याय पंचायत हैं।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया गया है। क्या जिस अधिकारी ने यह जवाब दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? (घोर व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आपकी गलती नहीं है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न को स्थगित करना चाहिए। क्योंकि प्रश्न का जवाब ठीक प्रकार से नहीं दिया है। (घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जवाब ठीक आया है। (कई माननीय सदस्यगण एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस प्रश्न में दो उत्तर आ रहे हैं, इसमें से कौन सा सही उत्तर है या प्रश्न के उत्तर में आपको अधिकारी ने गुमराह किया है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सवाल यह था कि क्या सरकार सभी में मिनी बैंकों की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है ? पूरे में तो नहीं हुआ है या ना। (घोर व्यवधान के मध्य) 780 संचालित हैं 670 में हुआ है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, जीना जी बोल रहे हैं, कृपया आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद, मान्यवर जनता की सुविधा के लिए सरकार ने जो मिनी बैंक खोले थे, क्या उनमें से कुछ मिनी बैंकों को बन्द भी किया गया है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन जानना चाहता है कि दो उत्तर आये हैं, तो यदि दोनों सही हैं तो बतायें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, दोनों उत्तर सही हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दोनों कैसे सही हैं ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जब पूरी न्याय पंचायत आच्छादित है तो प्रश्न ही नहीं उठता है विचार करने का। सभी को आच्छादित कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपनी गलती मानने के बजाय माननीय सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जब सारे न्याय पंचायत से आच्छादित हो चुका है तो विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आच्छादित हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप यह कहें कि आच्छादित हो चुकी है आप यह क्यों कह रहे हैं कि जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, बैठ जाएं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आपका निर्देश चाहिए।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने माननीय मंत्रियों को 2–2 उत्तर देने की छूट दे रखी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश की 670 न्याय पंचायत हैं जो कि आच्छादित हो चुकी हैं, इसलिए आगे विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी की बात का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

उत्तरखण्ड में श्रेणी 4–5–6–7 की भूमि में भूमिहीनों को पट्टे का आवंटन

*3–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में श्रेणी 4–5–6–7 की भूमि है ?

यदि हाँ ,तो क्या सरकार उत्तराखण्ड में भूमिहीनों को पट्टे दिलवाने हेतु कोई प्रावधान रखे जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ,

संगत अधिनियमों में प्राविधान पूर्व से ही विधमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दान सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि संगत अधिनियम में जो प्राविधान पूर्व से हैं उनकी जानकारी और क्या हैं, दूसरा कितने भूमिहीनों को पिछली सरकार के कार्यकाल में पट्टे दिये गये और जनपद स्तर पर भूमिहीनों को कितनी भूमि दी गई ? उनकी संख्या बतायें। और तीसरा मैं यह पूछना चाहता हूँ कि नई सरकार इसमें कोई संख्या तय करेगी या सभी भूमिहीनों को पट्टे देगी?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, उक्त अधिनियम की धारा–122–क 195, 197, 198 सरकारी अनुदान अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप जनपद एवं प्रशासन स्तर से नियमानुसार पट्टे आवंटन की कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, वर्ष 2010–11 में भूमिहीनों को कुल 8.84 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर में तो कुछ भी नहीं आया है।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूँ।..

श्री दान सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में वर्ग 4–5–6 एवं 7 की श्रेणी है, इस सम्बन्ध में सरकार का जवाब आया, जी हाँ। अभी कुछ दिन पहले सरकार की ओर से 30 मई, 2012 को जो जी0ओ0 हुआ है जोकि राजस्व अनुभाग–2 से हुआ है गवर्नमेन्ट ग्रान्ट 1895 में प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन हेतु दिये गये भूमि पट्टों को तत्काल धारकों को भूमि का मालिकाना हक और विक्रय का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में है। मान्यवर, सरकार

ने यह एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे सरकार की क्या मंशा है, यह हम सब लोग यहां पर जानते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ इस प्रश्न का संज्ञान लिया जाए। क्योंकि यह प्रश्न मूल प्रश्न से मिलता–जुलता है। राज्य के अंदर जो गरीब लोग हैं जो सैनिक हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनको पूर्व में जिले में अपने मकान बनाने के लिए, ग्वाड़ बनाने के लिए, गाय–भैंस के लिए, जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में पट्टे दिए गए।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, क्या सरकार उन गरीबों के लिए भी वर्ग 4–5–6 एवं 7 का मालिकाना हक दिलाये जाने पर विचार करेगी ?

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो वर्ग–4 की भूमि के बारे में प्रश्न किया, जो राज्य के किसी अनधिकृत कब्जेदार के कब्जे में है, ऐसा कब्जा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, दुबारा प्रश्न का उत्तर ठीक से लाएं। इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

राज्य में उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर उनके निवास पर मुहैया कराने की योजना

*4–श्री मदन कौशिक एवं श्री अजय भट्ट–

4–क्या खाद्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरों के समय से न मिल पाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उनके निवास पर गैस मुहैया कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायती राज, ग्राम्य विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

जी हाँ।

उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी की सुविधा पूर्व से ही विद्यमान है।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रदेश में कितनी गैस की आपूर्ति हो रही है ? और कितनी वर्तमान में गैस की कालाबाजारी हो रही है, उसके कितने मुकदमे दर्ज किए हैं ?

पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माह अपैल 2012 में 1144147 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति हुई, आवश्यकता 60 प्रतिशत की थी, आपूर्ति 53 प्रतिशत हुई है और माह मई में अब तक 730228 घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति हुई है। (व्यवधान) आपने दूसरा प्रश्न गैस का जो दुरुप्रयोग हो रहा है, उस सम्बन्ध में किया है कि इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मेरा कहने का अर्थ था कि जैसे आपने कहा कि अप्रैल माह में हमें 11 लाख की जरूरत थी, हमें 53 प्रतिशत गैस मिली। वहीं मई माह में जो 730228 गैस आयी तो यह कितनी प्रतिशत आयी ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं बताऊंगा। मान्यवर, मैंने प्रतिशत में उत्तर नहीं दिया। आपको समझने में गलती हुई है। (व्यवधान) आप जानना चाह रहे हैं कि माह अप्रैल में कितनी गैस की आपूर्ति हुई। उसका जवाब तो आ गया। अब आप जानना चाह रहे हैं कि माह मई में कितनी गैस की आपूर्ति हुई, या आप प्रतिशत में जानना चाह रहे हैं ? (व्यवधान) मैंने पहले प्रतिशत में नहीं बताई थी। मैंने पहले बताया था कि सिलेण्डर कितने प्राप्त हुए।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, आपने 53 प्रतिशत बताया था।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप फिर नोट कर लीजिए, माह अप्रैल में 1012967.... (माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द अग्रवाल द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, स्थगित क्यों कर दें। आदत हो गयी है आप लोगों की। (व्यवधान) मान्यवर, 1244157 गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता थी, जिसके सापेक्ष 1012967 गैस

सिलेण्डर प्राप्त हुए अप्रैल माह में, जो 60 प्रतिशत के सापेक्ष 53 प्रतिशत गैस की आपूर्ति हुई। माह मई में 1144147 के सापेक्ष, 730285 घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हुई है। यह 38 प्रतिशत बैठती है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि गैस सिलेण्डर प्राप्ति की समय सीमा कितनी है और जो गैस एजेन्सीज समय पर गैस नहीं देतीं, क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करती है या की है ? तीसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा एक और प्रश्न है, आजकल चार धाम यात्रा चल रही है, क्या उनके लिए अतिरिक्त कोटा या अतिरिक्त गैस उपभोक्ताओं को या आने वाले यात्रियों को देने का कोई प्राविधान है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यही प्रश्न क्योंकि माननीय मदन कौशिक जी ने भी किया था कि घरेलू गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से न चलने की वजह से क्या सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई की गयी ? मान्यवर, हमने समय रहते–रहते उस पर कार्रवाई की है। वर्ष 2011–12 में छापे 2203, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज कराई गयी, वह 13, जब्त किये गये सिलेण्डरों की संख्या 755 और जो अर्थ दण्ड इनसे वसूला गया है, वह 607317 रुपया है और अप्रैल 2012 से मई 2012 तक 1698 छापे की कार्रवाई हुई, जिसमें दो प्राथमिक सूचनाएं दर्ज कराई गयी, जब्त किये गये सिलेण्डरों की संख्या 962 है और अर्थदण्ड के रूप में 129172 रुपया वसूला गया।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक सवाल किया था कि बुकिंग कि बाद गैस सिलेण्डर प्राप्ति की समय सीमा कितनी है यानी कि 20 दिन, 21 दिन या 22 दिन, ? दूसरा गैस बुकिंग के बाद जो समय आप बताएंगे, उसके बाद भी यदि गैस एजेन्सियाँ उपभोक्ताओं को गैस नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, आप भी विदित होंगे कि आज गैस की बहुत ज्यादा समस्या प्रदेश के अन्दर है, लोग सुबह–सुबह लाइनों में लगते हैं। खासकर मेरी माताएं और बहनें सुबह 3 बजे लाइन में लगती हैं और शाम को 4–5 बजे उनसे कहा जाता है कि गैस खत्म हो गयी है। मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसी गैस एजेन्सी के विरुद्व, जो निर्धारित समय सीमा के बाद गैस सिलेण्डर नहीं दे पातीं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करेगी, तीसरा स्पेसिफिक सवाल माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह था कि आजकल चार धाम यात्रा चल रही है और पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज हमारा उत्तराखण्ड इस बात के लिए जाना जाता है कि चार धाम यात्रा हमारे यहाँ होती है। बड़ी अच्छी व्यवस्था आप बता रहे हैं की है, तो क्या इसके लिए कोई अतिरिक्त कोटा उत्तराखण्ड के उपभोक्ताओं या यात्रियों को मिल रहा है ?

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा था, मैं आप ही का जवाब दे रहा था, आपने सुना नहीं। आपने पूछा कि जो गैस एजेन्सियाँ समय पर गैस नहीं दे पातीं.................।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा कि बुकिंग के बाद कितने दिन में गैस सिलेण्डर मिल जाते हैं ? यह बहुत साधारण सा सवाल है।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, 21 दिन के बाद।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो गैस एजेंसी 21 दिन के बाद भी गैस नहीं दे रही है, क्या उस एजेंन्सी की खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी ? (व्यवधान) आपने तो छापामारी की बात की है।....

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

यतीश्वरानन्द जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी अभी उत्तर दे रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इसके लिये अलग से अधिकारी भी नियुक्त हैं। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो गैस एजेंसी निश्चित अवधि में गैस नहीं देती या उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ सस्पेन्शन की कार्रवाई की जाए और इसके लिए भारत सरकार को लिखा जाए।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, क्या ऐसी कोई कार्रवाई की गई ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, चार धाम यात्रा का विषय बहुत गम्भीर है, इस पर मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया है।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

घोर व्यवधान के मध्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिये, यहाँ पर एक साथ कई माननीय सदस्य, एक साथ खड़े होकर अपने–अपने प्रश्न पूछने लगते हैं, ऐसे में सरकार की ओर से किस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। इस पर कृपया, निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हों तो कृपया उनके उत्तर को सुन लें, आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने सुस्पष्ट उत्तर दिया है, मैंने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त कोटा हमारे पास नहीं है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, हमने तो कोटा की बात ही नहीं की.......।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

यतीश्वरानन्द जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी अभी उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन तो लें, मैं पूर्व में ही अपने उत्तर भाषण में कह चुका हूं कि अप्रैल माह में हमको 60 प्रतिशत गैस की आवश्यकता थी और जिसके सापेक्ष हमें 53 प्रतिशत गैस की ही आपूर्ति हुई। माह मई में 60 प्रतिशत गैस की आवश्यकता थी और जिसके सापेक्ष हमें 38 प्रतिशत गैस की ही आपूर्ति हुई और चार धाम यात्रा के लिए हमारे पास अलग से कोई कोटा नहीं है। माह मई में जो हड़ताल हुई। माह मई में हमें 60 प्रतिशत गैस की आवश्यकता थी और जिसके सापेक्ष हमें 38 प्रतिशत

गैस की ही आपूर्ति हुई और चार धाम यात्रा के लिए हमारे पास अलग से कोई कोटा नहीं है। माह मई में जो हड़ताल हुई थी, उससे भी परेशानी हुई, हम इस बात के लिए लगातार केन्द्र सरकार से प्रयासरत् हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि यह कोटा बढ़े।(व्यवधान)

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम के माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अन्दर जिले वाइज कितनी गैस एजेंसी हैं और कितने वितरण केन्द्र हर जिले के अन्दर स्थापित किए गए हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कम से कम इतनी कृपा तो कर दीजिये और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप कृपया, नये सदस्यों को गाइड कर दीजिये। अभी इस समय कैसे जिलेवार सूचना दी जा सकती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं सूचना दे देता हूँ कि पूरे प्रदेश में 173 गैस एजेंसियां हैं और 700 विस्तार केन्द्र हैं, जिसमें से 221 सब्सिडाइज हैं और 488 नॉन सब्सिडाइज हैं। आपने चूंकि जिलेवार सूचना मांगी है, तो मैं उसकी सूची पृथक से आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न मेरा था और मुझे एक भी अनुपूरक नहीं पूछने दिया गया है........। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–05 पुकारे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष तो वैसे भी बंध जाता है कोई उसके द्वारा प्रश्न परिपाटी नहीं रही है, प्रतिबंध भी नहीं रहा है। तो मैं निवेदन करूँगा मान्यवर से, कि या तो परिपाटी चले या वापस हो जो प्रश्न लग गये हों, क्योंकि आज कह दिया है, इसलिए मैं इसमें भाग ले रहा हूँ।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, यह आगे के लिए भी है। यह मूल प्रश्न मैंने पूछा था और मुझे एक अनुपूरक भी नहीं पूछने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, क्या भविष्य में भी ऐसा ही होगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ये तो आप अपने साथियों से कहिये। (व्यवधान) इसमें कोई क्या करेगा, सवाल पूछेगा, उसका उत्तर दिया जायेगा। आप अपने साथियों के साथ बात करिये।

प्रदेश में दैवीय आपदा प्रभावित चिन्हित गाँवों का विवरण

*5–श्री अजय भट्ट–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत वर्ष प्रदेश में आई दैवीय आपदा में कुल कितने गांवों को विस्थापन के लिए चिन्हित किया गया था उनका विवरण क्या है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त गाँवों का विस्थापन करेगी ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्तमान तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्राकृतिक आपदा के प्रति 233 ग्रामों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। ग्रामों की संवेदनशीलता एवं स्थायित्व हेतु उपायों के सम्बन्ध में भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जिसमें से 101 ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

संवेदनशील परिवारों/ग्रामों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास नीति तैयार कर ली गई है। इस नीति के अनुरूप संवेदनशीलतम ग्रामों के विस्थापन के सम्बन्ध में उपलब्ध वित्तीय व अन्य संसाधनों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, क्योंकि आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास नीति तैयार कर ली गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पुनर्वास नीति क्या है, क्या माननीय मंत्री जी सदन को बतायेंगे, नम्बर–एक, नम्बर–दूसरा प्रश्न है कि अल्मोड़ा जिले में कुल कितने गांवों को पुनर्वासित करने हेतु चिन्हित किया गया है। स्पेसिफिक पूछ रखा है, क्योंकि जिलेवार आपके पास विवरण होगा।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, पुनर्वास नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दे दूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पटल को जानकारी हो जायेगी, नीति तो बनी ही है। पुनर्वास के लिए मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये गये अपने निवास कि यथा सम्भव समीपस्थ स्थित सुरक्षित स्थान को चिन्हित किया जाए ताकि विस्थापित जीवन यापन के लिए अपनी पैतृक भूमि पर खेती बाड़ी कर सकें व अपने परम्परागत व्यवसायों से जीवन यापन कर सकें। अपने निवास के निकट में विस्थापन होने की स्थिति में विस्थापित परिवारों के लिए पृथक से सामुदायिक अवसंरचनायें व सुविधा विकसित करने के व्यय से बचा जा सकेगा।

विस्थापन पर विचार किये जाने से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श कर उक्त स्थान को मानव निवास हेतु सुरक्षित बनाये जाने के लिए किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के विकल्प पर विचार कर लिया जाए। पुनर्वास योजना बनाते समय प्रभावित परिवारों को विश्वास में लिया जाए एवं योजना के हर भाग में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मानव विकास हेतु असुरक्षित व अनुपयुक्त भू–भाग का सर्वेक्षण करने के उपरान्त संबंधित मानचित्रों का स्पष्ट चिन्हांकन करवा लिया जाए। (व्यवधान)

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मैंने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, अल्मोड़ा जिले मे कुल कितने गांवों को पुनर्वासित करने हेतु चिन्हित किया गया है ? ये पूरे जिलेवार आपने बनायी होगी नीति, तो उस नीति में पुनर्वास के कौन–कौन से गांव हैं, कौन–कौन से गाँव को चिन्हित किया गया है ? मैं एक ही जिले का पूछ रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाँच साल का डिजास्टर आया था वहीं सबसे बड़ा खतरा हुआ था।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद में 09 गांव संवेदनशील घोषित किये गये हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक अनुपूरक पूछ लेता हूँ कि ग्राम सभा मजगांव के ओखला गांव को गगास नदी ने लगभग काट दिया है, काटते–काटते गांव तक पहुँच गयी है और इस बरसात में वो गांव पूरा चला जायेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा जिले के ग्राम सभा मजगांव के ओखला गांव को बचाने के लिए क्या सरकार बरसात आने से पहले कोई पुख्ता प्रबन्ध करेगी ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जिस गांव का आपने उल्लेख किया है, उस गांव को बचाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किये जाएंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने कहा था ये बरसात आने से पहले, बरसात चालू होने वाली है उससे पहले। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री गणेश जोशी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गत वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूरी के कालीगाड़ क्षेत्र में बादल फटने से आपदा आई। जिससे पाँच लोगों की मृत्यु हो गई थी। शासन द्वारा वहाँ के लोगों को पुनर्वासित करने की बात कहीं गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उस गाँव के लोगों को पुनर्वासित कर दिया गया है ?

श्री यशपाल आर्य—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीन सदस्य श्री जोशी जी ने जो पुनर्वास के बारे में कहा है, निश्चित रूप से सरकार इस मामले में गम्भीर भी है। हमारे पास 233 गाँव जो संवेदनशील हैं, लेकिन इस संदर्भ में अभी हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री गणेश जोशी—

मान्यवर, आपदा में पूरा गाँव बह गया, पूरे मकान टूट गये, पूरा गाँव खत्म हो गया और शासन द्वारा वहाँ पर कहा गया कि उनको पुनर्वासित किया जाएगा। आपने जो जवाब दिया है वह उस स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि पूरा गाँव ही साफ हो गया है। मैंने आपसे पूछा है कि क्या उनको पुनर्वासित कर दिया गया है ? अगर कर दिया गया है, तो यह बताइये, अगर नहीं किया गया है तो कब तक करेंगे ? वहाँ कि लोग बहुत परेशान हैं कभी धर्मशालाओं में रह रहे हैं कभी दूसरे गाँव में रह रहे हैं।

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, मानकों के अनुरूप उनको राहत दे दी गई है।

श्री गणेश जोशी—

माननीय अध्यक्ष जी, इतना गम्भीर प्रश्न है, पूरा गाँव का गाँव उजड़ गया और 05 लोग मर गये। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि क्या उनको पुनर्वासित कर दिया गया है, अगर पुनर्वासित नहीं किया गया है तो बताइये कि 15 दिन में एक महीने में पुनर्वासित कर देंगे ? माननीय मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, मैंने कहा कि उनको मानकों के अनुरूप राहत दे दी गई है और हमारे पास वित्तीय संसाधन होंगे तो निश्चित रूप से उनका विस्थापन कर दिया जाएगा।

श्री गणेश जोशी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि क्या उनके पुनर्वास की कार्यवाही कर दी गई है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, बैठिये। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय संसाधनों के अनुरूप कार्यवाही कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इस प्रकरण को दिखवा लिया जाएगा।

श्री तीरथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो इससे प्रभावित है, और कौन सा जिला ऐसा है जिसमें अधिकतम गाँव आपदा से प्रभावित हैं ?

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, दैवीय आपदा से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, चमोली में ग्रामों की संख्या–49 है.....

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, बागेश्वर में 42 गांव चिन्हित किये गये हैं, पौड़ी गढ़वाल में 19 ग्रामों को चिन्हीकरण किया गया है, अल्मोड़ा में 09 जैसा कि मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताया, नैनीताल में 06, पिथौरागढ़ में 71, टिहरी गढ़वाल में 19, उत्तरकाशी में 05, रूद्रप्रयाग में 01, देहरादून में 02, ऊधमसिंह नगर में 01, चम्पावत में 09, हरिद्वार में शून्य, कुल 233 हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जनपद हरिद्वार में कितने हैं ? मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्सर विधान सभा में भीषण बाढ़ आयी थी। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि कृपया माननीय सदस्यगणों को अपने स्थान पर बैठने के लिए कहें। (व्यवधान मे मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में शून्य हैं। (कई माननीय सदस्यगण एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे जिसके सदन में घोर व्यवधान हो गया) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जब नये माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको आप कृपा पूर्वक समय दे रहे हैं। नये माननीय सदस्य चाहे वहां के हों या यहां के हों उनको ज्यादा समय देना चाहिए। मान्यवर, सबको अपने–अपने क्षेत्र की बात कहनी है और विशेषकर प्रश्नकाल विपक्ष का होता है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं जितने अनुपूरक प्रश्न के लिए समय दे रहा हूँ शायद पूर्व में कभी नहीं दिया होगा ? (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह आपकी उदारता है। (घोर व्यवधान) (माननीय सदस्य श्री हरीश धामी एवं कई माननीय सदस्यगण बैठे–बैठे अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ) (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, माननीय सदस्य भी नये सदस्य हैं, यदि वे भी अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो उनको प्रश्न पूछने दें।

प्रदेश में बंद पड़े हाइड्रम सिंचाई योजना का चिन्हीकरण का विवरण

*6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हाइड्रम सिंचाई योजना बंद हैं एवं बन्द होने के क्या कारण हैं

सरकार उक्त बन्द योजनाओं को कब तक चलाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 17 हाइड्रम योजनायें बन्द हैं। सभी हाइड्रम योजनायें पुरानी, क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण–शीर्ण होने के कारण बन्द हैं।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उक्त 17 बंद हाइड्रम योजनाओं में से 10 के कमाण्ड क्षेत्र में नहरों एवं लिफ्ट योजना बनाकर सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग तथा स्वयं कास्तकारों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। 01 लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माणाधीन है, 01 के कमाण्ड क्षेत्र में होटल व रिसोर्ट बनने के कारण कोई प्रस्ताव नहीं है, 04 में लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है तथा 01 का लघु सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ जनपद में कुल कितने सिंचाई हाइड्रम योजना है और उनमें से कितने बन्द हैं ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि 17 सिंचाई हाइड्रम योजनाएं बन्द हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, पिथौरागढ़ में कुल कितने हैं ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुमाऊँ क्षेत्र में 15 और गढ़वाल क्षेत्र में 2 सिंचाई हाइड्रम बन्द हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, लेकिन जो सूचना हमारे पास है, पर सही सूचना तो आपके पास होगी तो 109 में से 48 बन्द हैं और उत्तर में आप कह रहे हैं कि प्रदेश में 17 हाइड्रम योजना बन्द हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो हद है, माननीय मंत्रीगण सही इन्फार्मेशन हाउस में नहीं देंगे, तो हम लोग करेंगे क्या ? मान्यवर, प्रदेश की बातें पूछ रहे हैं और किसी चीज पर सही हल नहीं आ रहा है, माननीय सदस्य स्पेसिफिक चीजें ला रहे हैं, सब चीज ला रहे हैं। मान्यवर, यह खेदजनक बात है, इस प्रश्न को स्थगित किया जाना चाहिए।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ मे कुल स्थापित हाइड्रम योजनाओं की संख्या–109 है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने बताया कि 109 योजनाएं हैं तो उनमें से बन्द कितनी योजनाएं हैं ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, उसमें से 48 बन्द हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने उत्तर में दिया है कि प्रदेश में 17 हाइड्रम योजनाएं बन्द हैं, तो मैं किसको सही मानूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित होने लायक है कि किस तरह से ट्रेजरी बेंच से उत्तर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

17 हाइड्रम योजनाएं सिंचाई विभाग से हैं जो बन्द हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, उत्तर में है कि सिंचाई विभाग की 17 हाइड्रम योजनाएं बन्द हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैंने सिंचाई विभाग का नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि कुल कितनी सिंचाई की हाइड्रम योजना बन्द हैं। मान्यवर, मैंने प्रश्न में सिंचाई का पूछा है सिंचाई विभाग का नहीं पूछा है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैंने कहा कि सिंचाई विभाग की 17 हाइड्रम योजना बंद हैं।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, सिंचाई विभाग का नहीं, सिंचाई योजना का पूछा है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने अपने उत्तर में सिंचाई योजना लिखा है और आप सिंचाई विभाग का दे रहे हैं। मान्यवर, यह उत्तर गलत है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि केवल पिथौरागढ़ जिले में 48 बन्द हैं और फिर कह रहे हैं कि प्रदेश में 17 बंद हैं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, प्रदेश में कुल 334 योजनायें चालू हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैंने पूछा हाईड्रम की सिंचाई योजना के बारे में।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, केवल सिंचाई के बारे में पूछ रहे हैं तो वह आप बता दें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, बन्द योजनाओं में 71 योजनायें अन्य सिंचाई योजना के कमाण्ड में आने वाले कमाण्ड क्षेत्र के शहरीकरण क्षेत्र में हवाई पट्टी बनने, स्रोत और पानी की कमी, नदी का प्रवाह बदलने से इस योजना का पुनर्निर्माण निष्प्रयोज्य है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा है कि प्रदेश में कुल कितनी हाइड्रम की सिंचाई योजना बन्द हैं ? और आप सिंचाई विभाग का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित होने लायक है। मान्यवर, बहुत ही क्लियर पूछ रहे हैं कि क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी हाइड्रम सिंचाई योजना बन्द हैं, एवं बन्द होने के क्या कारण हैं तो हम कारण भी नहीं पूछ रहे हैं, कितने बन्द हैं, इतना स्पेसिफिक प्रश्न है हाइड्रम के बारे में पूछा है और उसमें पूरा इतिहास बतायेंगे तो यह बहुत खेद जनक बात है, इसलिए यह प्रश्न स्थगित होना चाहिए। मान्यवर, पूरा सदन और पूरा प्रदेश जानना चाहता है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, हम अनुपूरक नहीं पूछ रहे हैं, केवल इतना पूछ रहे हैं कि कितनी बंद हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चुफाल जी, आपने माननीय सिंचाई मंत्री जी से पूछा है कि उनके सिंचाई विभाग में..।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विभाग नहीं पूछा है, मैंने सिंचाई योजना के बारे में पूछा है कि प्रदेश में कुल कितनी हाइड्रम बन्द हैं ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बड़ी नहरों से अलग सिंचाई होती है, पम्पिंग से अलग होती है, तो सिर्फ हाइड्रम सिंचाई के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जब उत्तर ही गलत आ रहा है तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो सिंचाई विभाग द्वारा संचालित हाइड्रम योजनाएं हैं उसमें से 17 बन्द हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैंने सिंचाई विभाग का नहीं पूछा है, मैंने हाइड्रम सिंचाई योजना जो प्रदेश में बन्द हैं उनके बारे में पूछा है।

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, आप इस प्रश्न को तोड़—मरोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा कि सिंचाई योजना, तो हमारा स्पष्ट कहना है कि सिंचाई विभाग की 17 हाइड्रम योजनाएं बन्द हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बिशन सिंह चुफाल—

मान्यवर, मैंने सिंचाई विभाग नहीं पूछा है। मैंने पूछा है प्रदेश में कुल कितने हाइड्रम सिंचाई योजनाएं बन्द हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, आप प्रश्न को तोड़—मरोड़ कर पूछ रहे हैं। आपने कहा है सिंचाई योजना, इस पर हमारा स्पष्ट कहना है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 17 हाइड्रम योजनाएं बन्द हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल—

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, आप प्रश्न को परिवर्तित कर रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि प्रदेश में टोटल हाइड्रम योजनाएं कितनी हैं और इनमें से कितनी योजनाएं चल रही हैं और कितनी बंद हैं, यह बता दीजिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, यह कई विभागों का प्रश्न है। सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है, हाइड्रम विभाग है। मान्यवर, स्पेसिफिक प्रश्न बार—बार आ रहा है कि कुल कितने हाइड्रम सिंचाई योजनाएं बंद हैं ? (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य—

मान्यवर, मेरा स्पेसिफिक उत्तर है 17 हाइड्रम योजनाएं बंद हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला—

मान्यवर, आप विभाग की बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल—

मान्यवर, जैसे आपने पिथौरागढ़ जनपद का बताया है, उसी तरह से पूरे प्रदेश का बता दें कि टोटल कितनी हाइड्रम योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। मैंने प्रश्न पूरे प्रदेश का किया है।

श्री यशपाल आर्य—

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि प्रदेश में कुल कितनी हाइड्रम सिंचाई योजना बन्द हैं। इसमें मेरा उत्तर है कि 17 हाइड्रम योजनाएं बंद हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी ने स्पष्ट पूछा कि प्रदेश के अन्दर कुल कितनी हाइड्रम सिंचाई योजनाएं बंद हैं। विभाग चाहे किसके पास कौन सा विभाग हो, इसका प्रश्न नहीं है, जवाब सरकार की तरफ से आ रहा है और सही जवाब नहीं आया है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

राज्य में कृषि असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा हेतु योजना

*7—श्री मदन कौशिक—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्तमान में कुल कृषि असिंचित क्षेत्रफल कितना है तथा कृषि असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

उत्तराखण्ड राज्य का कुल कृषि असिंचित क्षेत्रफल 4.03 लाख हैक्टे0 है। कृषि असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा एकमुश्त कोई योजना नहीं बनाई जाती है, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर स्रोतों में पानी की उपलब्धता, उपलब्ध संसाधनों एवं कृषकों की मांग के आधार पर मानकों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर जिला योजना, नाबार्ड, केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विभाग निरन्तर नई योजना बनाकर असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी द्वारा अपने उत्तर में दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर स्रोतों में पानी की उपलब्धता, उपलब्ध संसाधनों एवं कृषकों की मांग के आधार पर मानकों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर जिला योजना नाबार्ड, केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा निरन्तर नई योजना बनाकर असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की कार्यवाही की जाती है और जो टोटल असिंचित क्षेत्रफल बताया है वह 4.03 लाख हेक्टेयर बताया है। मान्यवर, पिछले वर्ष 2011–2012 में कितने क्षेत्र को असिंचित से सिंचित किया है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, वर्ष 2011–2012 में जो वास्तविक सींच है, वह 2907 लाख हेक्टेयर है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसे आपने टोटल असिंचित क्षेत्र बताया है 4.03 लाख हेक्टेयर। इसके बाद आपने कुछ योजनाएं बतायी हैं मैंने कहा कि इन योजनाओं को लागू करने के एक वर्ष बाद कितनी भूमि और सिंचित हो गयी है ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, वर्ष 2009 में हमारी खरीफ की फसल में 2009 हे0 और रबी में 1771 हे0, इस तरह से 3870 लाख हे0 सिंचित हुई।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह कब की है। इसमें टोटल कितना खर्चा आया ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, खर्च तो आएगा ही।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान अगर यहां होता तो तब ठीक था, मगर माननीय मंत्री जी का ध्यान तो सितारगंज में है। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, आप सितारगंज से अभी तक उभरे नहीं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम क्यों उभरेंगे, हम तो बार–बार कह रहे हैं यह तो साफ–साफ दिखाई दे रहा है कि माननीय मंत्रीगण किस तरह से सदन में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन तथा उसका प्रारूप

*8–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किए जाने के प्रति प्रतिबद्ध है ? यदि हाँ, तो सरकार प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु आयोग का गठन कब तक करेगी व उसका प्रारूप क्या होगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ, शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–590/XVIII (1)/2012–2(9)/2011 दिनांकः 17 मई, 2011 द्वारा निम्नवत जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया हैः–

1,	अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
2,	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग,	–	संयोजक सदस्य
3,	आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
4,	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का अधिकारी	–	सदस्य

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंहनगर अन्तर्गत काशीपुर स्थित ढेला नदी पर पक्का तटबन्ध

*9–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी में प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में बाढ़ आने से नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाकों में जान माल का भारी नुकसान होता है ?

यदि हाँ, तो क्या बाढ़ के कहर से क्षेत्र को बचाने हेतु नदी के किनारे पक्के तटस्थ बनाए जाने का कार्य बरसात से पूर्व कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 07 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में धनराशि ` 132.30 लाख व्यय कर बाढ़ सुरक्षा के अति आवश्यक कार्य दैवीय आपदा एवं मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये हैं। विभाग द्वारा दि0 30.04.2012 को एक बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ` 97.54 करोड़ तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य तथा विधान सभा क्षेत्र सल्ट में जल संरक्षण की योजना

*10–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में नदियों में जलस्त्राव रोकने एवं निरंतर जलप्रवाह बनाये रखने हेतु नदी, नालों पर छोटी–छोटी झील या डैम बनाकर जल संरक्षण की योजना बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किन किन नदियों, नालों व गधेरों में डैम या झील बनाकर जलप्रवाह बढ़ाया गया है ?

क्या सरकार जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्तमान में विभाग द्वारा नदी–नालों में निरन्तर जल प्रवाह बनाये रखने हेतु योजनाएं नहीं बनायी गयी हैं, अपितु जल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण हेतु नदी–नालों पर छोटी–छोटी झील निर्माण की योजनाएं बनाई गई हैं।

उपरोक्तानुसार।

निरन्तर जल प्रवाह बढ़ाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, परन्तु जल संवर्द्धन एवं पर्यटन हेतु जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में देघाट में बिनू नदी पर एक झील निर्माण की योजना प्रस्तावित है, जिसका आगणन गठित कर पर्यटन विभाग को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2012 में स्थापित गेहूँ खरीद केन्द्र तथा खाद्यान्न क्रय उत्पादन व भण्डारण हेतु नीति

*11–श्री अरविन्द पाण्डे–

"क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2012 में कितने गेहूँ खरीद केन्द्र स्थापित किये गये व कितना गेहूँ क्रय किया गया।

विगत वर्षों 2010 व 2011 में स्थापित केन्द्रों की संख्या तथा क्रय किया गया गेहूँ कितना था ?

खाद्यान्न के उत्पादन, भण्डारण तथा क्रय किये जाने हेतु क्या सरकार कोई पारदर्शी नीति बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2012 में 143 क्रय केन्द्र स्थापित गये, जिनमें दिनाँक 31–05–2012 तक 1.15.657 मी0टन गेहूँ का क्रय किया जा चुका है।

रबी विपणन सत्र 2010–11 एवम् 2011–12 में जनपद ऊधमसिंह नगर में गेहूँ क्रय हेतु स्थापित किये गये क्रय केन्द्रों की संख्या तथा क्रय किये गये गेहूँ का विवरण निम्न तालिका में है–

1. क्रय केन्द्र–

क्र0 सं0	रबि विपणन सत्र	क्रय केन्द्रों की संख्या	क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा (मी0टन में)
1	2010–11	145	74884
2	2011–12	142	38134

खाद्य विभाग द्वारा केवल क्रय एवम् भण्डारण का कार्य किया जाता है। क्रय हेतु प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर नीति निर्धारित की जाती है। खाद्यान्न के भण्डारण हेतु खाद्य विभाग, राज्य भण्डारागार निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों, निजी गोदामों तथा खुले भण्डारण का उपयोग किया जाता है।

खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण हेतु विभाग के पास वर्तमान में निम्नवत भण्डारण क्षमता उपलब्ध है–

क्र0 सं0	गोदामों का विवरण	गोदामों की संख्या	कुल क्षमता (मी0टनमें)
1	खाद्य विभाग	201	94882
2	राजस्व भण्डारण निगम (कवर्ड)	12	69200
3	केन्द्रीय भण्डारण निगम (कवर्ड)	03	14000
4	खुले में भण्डारण (विभागिय/ एस0डब्लू0सी0)	11	22400

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विभिन्न गांवों में भूस्खलन के कारण ग्रामों का पुनर्वास तथा भूमि की उपलब्धता

*12–श्री विक्रम सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध झील के कारण विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में भूस्खलन हो रहा है ?

क्या यह सत्य है कि भूस्खलन के आकलन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई गांवों को हटाने की सिफारिश की है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार कब तक उक्त ग्रामों का पुनर्वास किया जाएगा ?

क्या पुनर्वास निदेशालय के पास भूमि उपलब्ध है ?

यदि हाँ, तो पुनर्वास निदेशालय कब तक भूमि उपलब्ध कराएगी ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ,

जी नहीं। विशेषज्ञ समिति द्वारा टिहरी बांध झील के कारण भूस्खलन प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट में किसी भी पूरे गांव को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति नहीं की है, अपितु कुछ गांवों के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के प्रभावितों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने की संस्तुति की है।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार टिहरी बांध जलाशय के कारण भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के परिवारों का पुनर्वास किये जाने हेतु प्रस्तावित सम्पार्श्विक क्षति नीति के लागू होने के उपरान्त।

उक्त नीति के अनुसार प्रभावित परिवारों के लिए वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है। जलाशय क्षेत्र के समीप स्थित ग्राम गोरण, असैना एवं अन्य ग्रामों की निजी तथा सिविल सोयम भूमि को विकसित कर भूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छोटे लघु सीमान्त कृषकों को कम ब्याज पर ऋण तथा सब्सिडी हेतु योजना

*13—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिलों के छोटे लघु सीमान्त कृषकों को कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी दिये जाने हेतु क्या सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2005 में "सहकारिता सहभागिता योजना" प्रारम्भ की गयी थी। योजना के अधीन प्रदेश के समस्त जिलों के छोटे लघु, सीमान्त कृषकों को कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण लागू दरों से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाते रहे हैं। उक्त योजना का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। योजना के अब तक के प्रभाव तथा अनुभव के आधार पर, यथास्थिति योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में समस्त पंचायत सदस्यों की पंचायत निधि की धनराशि 5 लाख प्रतिवर्ष देने पर विचार

1—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों की पंचायत निधि की धनराशि रू0 5—5 लाख प्रतिवर्ष विकास कार्यों के रूप में दिये जाने हेतु क्या सरकार कोई कदम उठाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में क्षेत्र पंचायत विकास निधि शासनादेश सं0 489/ XII /2011/86 (10)/2005 दिनांक 13 जून, 2005 द्वारा रू0 25.00 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत प्रति वर्ष गठित की गयी थी, जिसे बढ़ाकर शासनादेश सं0 895/ XII /2011 /86 (10)/2005 दिनांक 23 नवम्बर, 2010 द्वारा रु0 30.00 लाख किया गया था। जिस में से रू0 5.00 लाख की संस्तुति क्षेत्र पंचायत प्रमुख स्तर से व्यय किया जाना प्राविधानित है।

वर्तमान में उक्त योजना में शासनादेश सं0 2027/XII /2011 /86 (10)/2005 टी0सी0 III दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा रु0 5.00 लाख की पुनः वृद्धि करते हुए इसे रु0 35.00 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत प्रति वर्ष कर दिया गया है।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में पशु चारे व घास–फूस के सुरक्षित रखरखाव की उचित व्यवस्था

2–श्री मालचन्द–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला, के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में क्षेत्रीय ग्रामीण शरद ऋतु में सूखे पशु चारे व घास–भूस का संरक्षण कर घरों में रखते हैं जो आगजनी की दुर्घटनाओं की दृष्टि से बहुत विनाशकारी है ?

क्या सरकार सूखे पशु चारे व घास–भूस के सुरक्षित रखरखाव के लिए पर्वतीय क्षेत्र में शेड या कोई अन्य उचित व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर संगत योजनाओं के अन्तर्गत सम्यक् विचार किया जायेगा।

3–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

तृतीय बुधवार के अतारांकित 17 में स्थानान्तरित।

जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत मजगांव के तोक उकला को गास नदी के कटान से बचाने हेतु प्रबन्ध

4–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम सभा मजगांव के तोक उकला को गगास नदी द्वारा अन्दर तक काट दिया गया है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त गांव को बचाने के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार मानसून प्रारम्भ होने से पहले तक उकला गांव को बचाने हेतु कोई सबूत प्रबन्धन करेगी ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया, ताड़ीखेत स्यालदे तहसील रानीखेत सल्ट विकास खण्डों में रामगंगा व इसकी सहायक नदियों से बाढ़ सुरक्षा हेतु ` 355.08 लाख की एक संकलित योजना भारत सरकार को वर्ष 2009 में प्रेषित की गयी है, जिसमें ग्राम सभा मजगांव के तोक उकला को गगास नदी के कटाव से सुरक्षा का भी प्राविधान किया गया है। उक्त प्रस्तावित योजना पर अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम तड़ीगांव में रामगंगा नदी से सिंचाई हेतु हाइड्रम निर्माण की योजना है

5–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम तड़ीगांव में रामगंगा नदी से सिंचाई हेतु हाइड्रम निर्माण की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में हाइड्रम योजनाओं का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत क्यारा मोटर मार्ग को धनोल्टी हाईस्कूल तक की स्वीकृति पर विचार

6–श्री गणेश जोशी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में ग्राम सभा क्यारा तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र के अधिकांश गांव भैरखेत, ग्वाड़, खालेंच, रगड़ उठयाणु, बसवाल गांव, धनोल्टी हाईस्कूल आदि फिर भी सड़क से वंचित रह जाएंगे ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्यारा मोटर मार्ग को आगे क्यारा, धनोल्टी हाईस्कूल तक स्वीकृति दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न बसावटों की आबादी 250 से कम होने के कारण।

जनपद हरिद्वार के बी0एच0ई0एल0 रानीपुर में भू–कटाव रोकने तथा प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा तथा भूमि संरक्षण कार्य

7–श्री आदेश चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2010 में आई दैवीय आपदा के कारण जनपद हरिद्वार के बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के शिवालिक नगर के एस0 क्लस्टर के निकट से जाने वाली रानीपुर रोह नदी के निकट के आवासीय भवनों को वर्ष 2010 में आयी दैवीय आपदा के कारण खतरा हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में भू–कटाव को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार आगामी बरसात के पूर्व प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा तथा भूमि संरक्षण कार्य करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

भू–कटाव को रोकने एवं आबादी की सुरक्षा हेतु दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत प्रथम चरण में ` 24.72 लाख की धनराशि मार्च, 2011 में विभाग को प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत एक स्पर एवं 162 मी0 लम्बाई में सुरक्षा दीवार पर पुनर्निर्माण कार्य करवाकर सुरक्षा प्रदान की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

अवशेष कार्यों हेतु आकलित ` 24.72 लाख की धनराशि के दैवीय आपदा मद में स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में मिट्टी तेल के आवंटन कोटे में कटौती के कारण आवश्यकतानुरूप आपूर्ति के सम्बन्ध में

8–श्री अरविन्द पाण्डे–

क्या खाद्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में मिट्टी तेल के आवंटित होने वाले कोटे में कटौती कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में मिट्टी तेल उपलब्ध कराने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण क्या है ?

तथा मिट्टी तेल की आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार की कार्ययोजना क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

मिट्टी तेल की आवश्यकता के अनुरूप सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में गैस मंत्रालय भारत सरकार से कोटा बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में खाद्यान्न नीति में परिवर्तन तथा मिट्टी के तेल में कटौती के कारण

9–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या खाद्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी खाद्यान्न नीति में कोई परिवर्तन हुआ है तथा उसका विवरण क्या है ?

क्या सरकार द्वारा मिट्टी के तेल में कटौती की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

जी हाँ।

भारत सरकार से पूर्व मे आवंटित कोटे में 66% कमी कर दिये जाने के कारण उपभोक्ताओं को उपलब्ध मात्रा के अनुरूप मिट्टी तेल वितरित कराया जा रहा है।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी के भेड़ पालकों को पशु हानि हेतु मुआवजा

10–श्री मालचन्द–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी के भेड़ पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से पशु हानि के लिए उचित मुआवजा देने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्या ?

श्री यशपाल आर्य–

आपदा राहत मानकों के अधीन आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से पशु हानि होने पर भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/मानकों के अनुसार प्रभावितों को मुआवजा/राहत राशि का भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0डी0एम0 किच्छा द्वारा कार्यों का संचालन किच्छा से न कर रुद्रपुर में स्थापित कार्यालय से करने के सम्बन्ध में

11–श्री राजेश शुक्ला–

11. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि कई वर्षों से एस0डी0एम0 किच्छा के पद पर नियुक्त अधिकारी किच्छा स्थित कार्यालय में न बैठकर रुद्रपुर कार्यालय में बैठते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार किच्छा के एस0डी0एम0 के कार्यों का संचालन किच्छा में स्थापित कार्यालय से किए जाने हेतु कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रुदपुर किच्छा तहसील सीमा के अन्तर्गत है। उपजिलाधिकारी किच्छा का कार्यालय/न्यायालय रुदपुर में स्थापित है। उपजिलाधिकारी सप्ताह में दो दिन तहसील मुख्यालय पर न्यायिक/प्रशासनिक कार्यों का निस्तारण करते हैं।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला अन्तर्गत रामासिंराई के काश्तकारों हेतु बडियाड़ खड के जल लिफ्ट योजना का निर्माण

12–श्री मालचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत रामासिंराई के काश्तकारों हेतु बडियाड़ खड में जल लिफ्ट योजना बनवाई जाएगी जिससे काश्तकारों की समस्त कृषि भूमि सिंचित हो सके तथा समय रहते अपनी फसलें तैयार कर उन्हें उचित दाम प्राप्त हो सके ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर के राजस्व विभाग के कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण

13–श्री अरविन्द पाण्डे–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर के राजस्व विभाग के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं तथा उनके आन्दोलन के कारण जनता

को जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों के बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार हड़ताली कर्मचारियों से होने वाली कठिनाई का निराकरण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जिला हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में लेखपालों के द्वारा अपनी कुछ मांगों के परिपेक्ष्य में विभिन्न प्रमाण पत्रों यथा जाति, आय, चरित्र प्रमाण पत्र आदि पर जांच आख्या अंकित करने के कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है, इससे आम जनता को कोई कठिनाई न हो उसके लिए अन्य उपलब्ध कार्मिकों को जांच आख्या अंकित करने का दायित्व देकर यह कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर अन्तर्गत नहरों में नियमित पानी न मिलने से काश्तकारों को नुकसान

14–श्री चन्द्रशेखर–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत नहरी सिंचित क्षेत्र, के नहरों में नियमित पानी न मिलने से काश्तकारों को बहुत नुकसान हो रहा है ?

क्या सरकार नहरों में नियमित पानी की व्यवस्था करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ। जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर की सिंचाई नहरें, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन हैं, इसमें पानी की आपूर्ति एवं रख–रखाव का कार्य भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा ही किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य परिसम्पत्तियों के विभाजन से सम्बन्धित वाद मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिसमें जनपद हरिद्वार की नहरें भी सम्मिलित हैं। किसानों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर नहरों में पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत टिहरी बाँध जलाशय को पर्यटन से जोड़ने हेतु रिंग रोड का निर्माण

15—श्री बिक्रम सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत टिहरी बांध जलाशय के निकट क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने व पर्यटन से जोड़ने हेतु बांध जलाशय के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो रिंग रोड की स्वीकृति कर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री यशपाल आर्य—

जी हाँ। टिहरी बांध जलाशय के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण का प्रारम्भिक आंगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा ` 542.64 लाख गठित कर लिया गया है।

रिंग रोड की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

ग्राम्य विकास विभाग में विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की स्थायी नियुक्ति

16—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि ग्राम्य विकास विभाग में विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की कमी के कारण मनरेगा एवं आजीविका जैसी महत्वपूर्ण योजनायें प्रभावित हो रही हैं ?

यदि हाँ, तो उक्त रिक्त पदों पर शासन स्तर से नियुक्ति स्थाई रूप से कब तक करायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह—

आंशिक रूप से प्रभावित हो रही है।

ग्राम्य विकास विभाग में वर्तमान में विकासखण्ड स्तर पर, प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारी के कुल स्वीकृत 950 पदों के सापेक्ष 319 पद रिक्त हैं, जिससे मनरेगा एवं आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। ग्राम्य विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन तकनीकी शिक्षा परिषद रुड़की को भेजा गया है। चयन प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में सिंचाई हेतु छोटी झीलों की निर्माण व्यवस्था

17—श्री मालचन्द—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत, नौगांव, पुरोला, मोरी में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नहरों के स्थान पर छोटी—छोटी झीलों की व्यवस्था करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री यशपाल आर्य—

विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला एवं मोरी की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु कोई झील निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में नहरों से ही सिंचाई व्यवस्था की जा रही है।

टिहरी बांध की दीवार पर बनी सड़क पर आवागमन प्रतिबन्ध समाप्त करने के सम्बन्ध में

18—श्री बिक्रम सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध की दीवार पर बनी सड़क आवागमन प्रतिबन्ध होने के कारण क्षेत्रीय जनता को कई कि0मी0 का अतिरिक्त सफर करने के लिये जीरो प्वाइन्ट से होकर जाना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो जनहित में उक्त मार्ग को कब खोला जायेगा ?

श्री यशपाल आर्य—

जी हाँ।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुरक्षा एवं तकनीकी कारणों से बांध के ऊपर से व्यवसायिक एवं निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित किया गया है। वर्तमान में टिहरी बांध के आस—पास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को जिला प्रशासन/सी0आई0एस0एफ0 से अनुमति प्राप्त कर बांध के ऊपर से पैदल आवागमन का प्राविधान है।

*श्री हरबन्स कपूर—

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहाँ इस घड़ी में 12 बजकर 20 मिनट और 23 सेकेण्ड हैं। उस घड़ी में 12 बजकर 20 मिनट और 47 सेकेण्ड हैं। इन दोनों में से कौन सी घड़ी ठीक है ? (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट साहित्य उपलब्ध न होने के कारण श्री मदन कौशिक स0वि0स0 द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। आज अनुदान माँगों पर चर्चा की जानी है और सामान्यतया प्रारम्भ से ही यह स्थिति रही है कि जिन अनुदान माँगों पर चर्चा होनी है, 3 दिन पहले उनका सारा बजट साहित्य मिल जाना चाहिए। लेकिन आज भी हमें जो साहित्य मिला है, वह भी 3–4 विभागों का मिला है तो हम चर्चा किस तरह कर पाएंगे। मान्यवर, कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमें अपने घरों में पढ़ने का समय चाहिए। पढ़ेंगे, तभी तो हम चर्चा कर पाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से निर्णय आना चाहिए कि आज ही तत्काल हमें सारा साहित्य उपलब्ध हो जाए, तभी इस पर कोई चर्चा कर पाएंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप काफी विद्वान हैं। काफी कुछ तो ऐसे ही जान गये हैं, बिना पढ़े ही पूछ लेंगे। मिलना चाहिए, अभी मैं निर्देशित करती हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपकी व्यवस्था आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

बजट की जो सामग्री है, जिस दिन चर्चा होती है, उसी दिन दी जाती है। (व्यवधान) आज नियम–310 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से यह निर्णय आ जाएगा तो परम्परा बन जाएगी। (व्यवधान) मान्यवर, कठिन हो जाएगा सभी सदस्यों के लिए। इस सदन के सामने समस्या आ जाएगी, अगर कोई ऐसा निर्णय पीठ से आता है। मान्यवर, आज तक की यह परम्परा रही है, कार्य संचालन नियमावली में दिया गया है, पीठ से निर्देश दिये गये हैं कि 3 दिन पहले हमें बजट साहित्य मिल जाना चाहिए। यही परम्परा है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, पीठ का निर्णय सबके लिए है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे पास सूचना आयी है सब राजनीतिक दलों के कार्यालयों में दे दिया गया है। बी0जे0पी0 वालों के बी0जे0पी0 कार्यालय में, बसपा वालों कें बसपा कार्यालय में।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, केवल 3–4 विभागों का मिला है।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे सूचना दी गयी है कि सब लिट्रेचर दे दिया गया है। अगर आप चिन्हित करें, कौन सा नहीं मिला है। मुझे यह जानकारी फाइनेंस से मिली है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप निर्देश कर दें सबके लिए कि कम से कम आज ही सब मिल जाएं।

श्री इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसको चैक कर लीजिए और तत्काल बांट दीजिए। उन्होंने कहा है कि सबके कार्यालय में दे दिया है।

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें पहली सूचना श्री मदन कौशिक जी की है, जो हरिद्वार शहर में अतिक्रमण हटाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अजय भट्ट जी की है, जो वर्तमान सरकार के एक मंत्री के भाई–बहन लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं, इस सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राजकुमार तथा अन्य साथियों की है, जो रुदपुर कोतवाली में पुलिस हिरासत में चुड़ामल नामक व्यक्ति की मौत हुई, इसमें चंचल शर्मा नामक दरोगा की प्रताड़ना से उसकी मौत हो गयी, जिस वजह से दरोगा चंचल शर्मा को तत्कालीन एस0एस0पी0 ने निलम्बित कर दिया, इस सम्बन्ध में है।......चौथी सूचना श्री हरबन्स कपूर एवं अन्य माननीय सदस्यों की है, जिसमें उल्लेख है कि दिनांक 23–05–2012 को देहरादून में आहूत मंत्रिमण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव, जिसमें उल्लेख है कि भूमि पट्टाधारकों को उत्तराखण्ड गठन वाले दिन 9 नवम्बर, 2000 को सम्बन्धित भूमि के प्रस्तावित सर्किल रेट का दसवां हिस्सा जमा करना होगा, तभी उन्हें पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा। उपरोक्त तर्ज पर रुद्रपुर व उत्तराखण्ड राज्य के अन्य नगरों में नजूल भूमि को कब्जाधारकों के हक में फ्री–होल्ड करने हेतु 9 नवम्बर, 2000 को सम्बन्धित भूमि के प्रचलित सर्किल रेट का दसवां हिस्सा जमाकर मालिकाना हक प्रदान किया जाये, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, जबकि रुद्रपुर नगर में पंजीकृत (रजिस्ट्री) वाले भू–खण्डों पर सर्किल रेट का 125 प्रतिशत तथा अवैध कब्जाधारकों से 200 प्रतिशत लेकर निरन्तर अन्याय किया जा रहा है।

मैं इनमें माननीय मदन कौशिक जी की सूचना को नियम–58 में ग्राह्य कर रहा हूँ, माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल जी वाली सूचना में विषय आक्षेपात्मक, आरोपात्मक हैं एवं सम्बन्धित सेवा नियमावली से आच्छादित होता है नियमों की परिधि में नहीं आता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का विषय उठाया गया है, को भी सुने जाने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है, इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन लेते और बाद में जो भी निर्णय होता, वह स्वीकार्य होता।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी, मैं इंगित करके कह रहा हूँ, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, वह शायद अभी आस्ट्रेलिया में हैं। उनके भाई जनपद हरिद्वार में लालबत्ती की गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं और मीडिया के सामने जाकर कह रहे हैं कि यदि मंत्री का भाई और उसका परिवार सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। यदि यह सरकार मंत्रियों के परिवार के लिए लाल बत्ती की गाड़ियां देती है और उनको भी माननीय मंत्री जी के बराबर की सुख–सुविधायें देती है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि क्या मंत्री के भाई, मंत्री की पत्नी, मंत्री की माता, मंत्री के पिता, मंत्री के बेटे को सरकार ने खुली छूट दे दी है, क्या उनको भी प्रोटोकॉल दे दिया गया है और लालबत्ती की गाड़ी में जाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। मान्यवर, इसमें यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए ताकि हम भी चर्चा करें और सरकार के लोग भी चर्चा करें और या तो यह नियम बना दिया जाए कि मंत्री के भाई, मंत्री की पत्नी, मंत्री की माता, मंत्री के पिता, मंत्री के बेटे को सरकार लालबत्ती की गाड़ी देगी और वही प्रोटोकॉल उनको भी मिलेगा, जो मंत्री को मिलता है।

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी द्वारा माननीय अध्यक्ष पीठ की ओर एक समाचार–पत्र की प्रति दिखाई गई।)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके पास यह समाचार–पत्र की कटिंग भेज रहा हूँ, माननीय मंत्री जी की बहन और पत्नी, जो टीचर हैं, को लेकर एक रोडवेज की गाड़ी आठ किलोमीटर दूर इंटीरियर में जाती है, स्कूल के गेट के पास यह फोटो खींची गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह प्रदेश में इस प्रकार से क्या किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

समाचार–पत्रों का संज्ञान सदन में नहीं लिया जाता है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं समाचार–पत्र नहीं दे रहा हूँ, यह तो फोटो है, जो स्कूल के गेट पर खींची गई है।........

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन को घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक रोडवेज की गाड़ी लगायी गयी है और स्पेशल रोडवेज की गाड़ी उसकी बहन को लेकर, पत्नी को लेकर विद्यालय में छोड़ने जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रतिपक्ष के नेता अजय भट्ट जी ने जो सूचना दी है, उसकी सरकार जांच करा ले, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको तत्काल रोकने की कार्यवाही करे। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आपके निर्देश का पालन किया जायेगा।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री चन्द्रशेखर, श्री संजय गुप्ता, श्री मदन कौशिक, श्री गणेश जोशी, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री अजय टम्टा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री यतीश्वरानन्द, श्री उमेश शर्मा (काऊ), श्री सरवत करीम अंसारी, श्री प्रेम सिंह, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री मालचन्द्र, श्री हरबन्स कपूर, श्री दान सिंह भण्डारी की कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनसें से श्री चन्दन राम दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री यतीश्वरानन्द, श्री उमेश शर्मा (काऊ), श्री मालचन्द, श्री दानसिंह भण्डारी की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पिछले पाँच दिन से लगातार एक ही सूचना दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सूचना को नहीं ले रहे हैं। आप हर बार यह कहते हैं कि अगले दिन ले लूँगा। मैं लगातार पाँच दिन से आपको एक ही सूचना दे रहा हूँ। मान्यवर, 2–3 दिन का सदन बचा है, कुछ तो कृपा कर दीजिए।

प्रदेश में रमसा योजना के तहत रा0जू0हा0 का उच्चीकरण भारत सरकार के सहयोग से किया जाता है। परन्तु जू0हा0स्कूलों का उच्चीकरण होने से उनमें पदों का सृजन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रदेश में रमसा योजना के तहत रा0जू0हा0 का उच्चीकरण भारत सरकार के सहयोग से किया जाता है, परन्तु खेद का विषय है कि एक तरफ जू0हा0 स्कूलों का उच्चीकरण होने से इनमें पदों का सृजन नहीं होता है, दूसरी तरफ उच्चीकृत जू0हा0 स्कूलों के शिक्षकों को अन्यत्र हटा लिया जाता है। फलस्वरूप उच्चीकृत हाईस्कूल शिक्षक विहीन हो जाते हैं। जबकि इन विद्यालयों में कार्यरत जू0हाई0 स्कूलों के अध्यापक एल0टी0 के बराबर वेतन लेते हैं तथा कक्षा 6,7, तथा 8 को पढ़ाने में सक्षम हैं। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में जू0 हाईस्कूल का उच्चीकृत होना स्वाभाविक प्रक्रिया है।

अतः इन जू0 हा0 स्कूलों के अध्यापकों को या तो इन्हीं विद्यालयों में कार्यरत् रखा जाए अथवा इनको भी एल0टी0 मानकर इन उच्चीकृत हाईस्कूलों में समायोजित किया जाए, जिससे शासन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा व कार्यरत् शिक्षकों को अन्यत्र न भेजकर उस विद्यालय में ही व्यवस्था हो सकती है।

अतः उच्चीकृत जू0हा0 शिक्षकों को एल0टी0 मानकर इन्हीं उच्चीकृत विद्यालयों में रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय जनता इण्टर कालेज कांडाखाल एवं जनता इन्टर कालेज किनसार में विज्ञान विषय की मान्यता होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय जनता इंटर कालेज कांडाखाल एवं जनता इंटर कालेज किनसार में लगभग चार से पाँच सौ तक छात्र–छात्राएं अध्ययनरत् हैं।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूर–दराज क्षेत्र के इन विद्यालयों में विज्ञान विषय की स्ववित्त मान्यता नहीं है। आज के इस वैज्ञानिक युग में दूर दराज क्षेत्र के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय की शिक्षा हेतु कठिनाई हो रही है। जनता के मध्य आक्रोश है। कई बार इस विषय को लेकर सरकार से मेरे द्वारा व जनता के द्वारा आवेदन किया गया। छात्र हित में दोनों विद्यालयों के विज्ञान विषय की स्ववित्त मान्यता दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से स्ववित्त विज्ञान विषय की मान्यता दें, इसकी प्रभावी मांग करती हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत वर्षों पूर्व स्वीकृत पेयजल योजनाओं का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा सल्ट के अन्तर्गत शशिखाल–कोटेश्वर एवं हरीढूंगा–गुजरकोट पेयजल योजनाओं से क्षेत्र के 100 से अधिक गाँवों को पेयजल आपूर्ति होनी थी पर वर्षों से स्वीकृत इन योजनाओं का निर्माण अभी तक भी न होने से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अवहेलना उनके आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लोग कभी भी आन्दोलन कर किसी अप्रिय घटना को जन्म दे सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शशिखाल–कोटेश्वर एवं हरीढूंगा–गुजरकोट पेयजल योजनाओं के शीघ्र निर्माण की मांग करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के लालढांग से मीठी बेरी तक पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यतीश्वरानन्द–

महोदय, क्षेत्र की जनता के हित में लालढ़ांग से मीठीबेरी तक पुल का बनना नितान्त आवश्यक है। वर्षा के समय इस पुल के न होने से 20, 25 हजार की आबादी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मान्यवर, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वह हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। 10, 11 गाँव के बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। इसलिए मान्यवर, यह लोकहित में बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। ताकि क्षेत्र की जनता को पुल के न होने से जो परेशानी होती है। उसमें राहत मिल सके, और मैं सदन में इस पर चर्चा भी कराना चाहता हूँ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देहरादून के रायपुर मार्ग के लम्बे समय से जीर्ण–शीर्ण होने से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उमेश शर्मा(काऊ)–

मान्यवर, रायपुर मुख्य मार्ग, जो कि लम्बे समय से जीर्ण–शीर्ण पड़ा हुआ है, उक्त रोड पर राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित 05 रक्षा संस्थान भी स्थित हैं, जहाँ से प्रतिदिन संस्थानों के कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निवासियों एवं स्कूल के बच्चों को आना जाना होता है। इस मार्ग में ए0डी0बी0 के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने का कार्य लगभग अन्तिम चरण में है एवं सड़क को निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूप से मिट्टी से भर दिया गया है जिससे जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं एवं प्रतिदिन हल्के एवं बड़े वाहनों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। किसी भी बड़ी दुर्घटनाओं के होने की आशंका बनी हुई है। चूँकि उक्त मार्ग, में पाइप लाइन का निर्माण कार्य ए0डी0बी0 के अन्तर्गत कराया गया है। ऐसी स्थिति से क्षेत्रीय जनता त्रस्त है एवं जनता में असन्तोष व्याप्त है।

उक्त सन्दर्भ में यह भी ज्ञातव्य है कि मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 के पत्रांक सं0–2323/26 बजट बाढ़ भूस्खलन/ 2011–12 दिनांक 13–03–2012 के अनुसार रायपुर रोड के निर्माण हेतु रुपया 65.67 लाख की धनराशि आवंटित है। अब चूँकि ए0डी0बी0 के अन्तर्गत सीवर लाइन आदि का कार्य अन्तिम चरण में है अतः उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रुपया 65.67 लाख पुनः रायपुर मार्ग को आवंटित करते हुए मार्ग के पुनर्निर्माण अविलम्ब किये जाने की मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत ग्राम बजलाड़ी विकास खण्ड नौगांव में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माल चन्द–

मान्यवर, मेरी विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत ग्राम बजलाड़ी विकास खण्ड नौगांव में पीने के पानी की बहुत दयनीय समस्या है। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि लोग इस दयनीय समस्या से तंग आकर वहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। वहाँ के लोग अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए पानी खच्चरों से ढुलान कर रहे हैं और जिनके पास खच्चरों की व्यवस्था नहीं है, उनका एक आदमी विशेष रूप से इसी काम पर लगा रहता है, जिससे वो अपने परिवार को जीवन दे सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद नैनीताल के विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत रामगढ़, धारी, भीमताल, ओखलकांडा में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण आलू की फसल नष्ट होने एवं किसानों को फसल की बीमा राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम –300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी–

मान्यवर, भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामगढ़, धारी, भीमताल, ओखलकांडा में अत्यधिक मात्रा में आलू उत्पादित होता है। किसानों द्वारा रुपये 2500 से रुपये 3000 तक आलू बीज खरीदकर लगाया जाता है। वर्तमान वर्ष में क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ जाने के कारण समस्त पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की फसल सूख चुकी है जिस कारण पर्वतीय किसान, जो मात्र आलू की पैदावार पर निर्भर रहते हैं, की आजीविका का प्रश्न पैदा हो गया है। इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामले में आपसे अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र में समस्त आलू उत्पादक किसानों को फसल की बीमा राशि का भुगतान अतिशीघ्र सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाए। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो किसान इस फसल के लिए बीमा नहीं करा सके हैं उन्हें भी बीमा कराने की अनुमति देकर इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के हितार्थ इस पर्वतीय आलू उत्पादक क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करता हूँ।

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010–11 का वार्षिक लेखा तथ केन्द्रीय अधिनियम, 2003 की धारा–105(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट

*वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010–11 का वार्षिक लेखा तथा केन्द्रीय अधिनियम, 2003 की धारा–105(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत, श्री चन्दन राम दास, श्री सरवत करीम अंसारी एवं श्री राजेश शुक्ला, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री गणेश जोशी, श्री अजय टम्टा, श्री संजय गुप्ता, श्री चन्द्रशेखर, श्री हरबन्स कपूर,

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री यतीश्वरानन्द, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री आदेश चौहान तथा श्री मालचन्द की कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री संजय गुप्ता, श्री यतीश्वरानन्द, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर तथा श्री मालचन्द की सूचनाओं को ग्राहयता पर सुन लूँगा। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

प्रदेश के अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यगणों की गरिमा एवं अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, स0वि0स0 औचित्य का प्रश्न

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज औचित्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, आज सभी माननीय विधायकों को कष्ट है कि इनकी बात को अधिकारीगण सुन नहीं रहे हैं। उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी समय–समय पर जारी किया जाता है। लेकिन इनके सम्मान की अवहेलना की जा रही है। अनेक बार सम्मानित सदन से भी इस बारे में निर्देश जारी किये गये हैं। मान्यवर, उन निर्देशों का पालन अक्सर देखने में आया है कि न जिलों में किया जा रहा है और न शासन स्तर पर किया जा रहा है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मान्यवर, विधायिका का सम्मान इस सदन का सबसे पहला कर्तव्य है और यदि विधायिका के सम्मान को कहीं ठेस पहुँचे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उससे यह सदन प्रभावित होता है। मान्यवर, केवल यह एक विषय नहीं है और इसी सदन के अन्दर कल एक माननीया सदस्या ने कहा है कि अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहे हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यदि वह बैठक बुलाते हैं तो अधिकारीगण उनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं कल इसी सदन में नियम–310 के अन्तर्गत आपने महती कृपा करके उस विषय को लिया है। सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक उसके ऊपर जो उत्तर दिया है कि उनको सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है। मान्यवर, हमारे ठुकराल जी हैं उनके ऊपर सात महीने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारे शुक्ला जी के पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और प्रेमचन्द अग्रवाल जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। निश्चित रूप से सारा विषय ऐसा है जिसमें कहीं न कहीं इस सदन की यदि गरिमा को रखना है तो इस प्रकार के निर्देश जाना चाहिए इस सदन के माध्यम से और जो शासनादेश पहले से जारी हैं उस शासनादेश का अनुपालन होना चाहिए। मान्यवर, यह औचित्य के रूप में, मैं आपके सम्मुख रखता हूँ, इस पर चर्चा की मांग भी करता हूँ। इस पर माननीय सदस्य और भी बोलना चाहते हैं यदि आपकी महती कृपा हो तो वे भी अपने विचार रख सकते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे औचित्य के रूप में स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मदन कौशिक जी ने नियम–299 के अन्तर्गत जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं किया गया है, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, अगर कोई ऐसी बात है तो विशेषाधिकार हनन के तहत इस मामले को आप उठा सकते हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, समय–समय पर यह अनेक बार हुआ है, माननीय सदस्य ने इसको कहा भी है, यह सवाल केवल एक माननीय विधायक का नहीं है विशेषाधिकार हनन नहीं लगा सकते हैं, यह पूरे प्रदेश की स्थिति है, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय विधायक या विपक्ष के माननीय विधायक हों, दोनों ही इस चीज से चिन्तित हैं। मान्यवर, कल आपके ही सम्मुख एक माननीय विधायक ने इस चीज को उठाया कि उसका फोन अधिकारी ने नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आप बैठिए।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आपका निर्देश जारी होना चहिए। मान्यवर, इसमें सरकार का भी पक्ष आना चाहिए, यह पूरी विधायिका का सम्मान नहीं है, विधायिका का सम्मान बचाना आपका भी दायित्व है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, लक्सर नगर में अब से 10–11 वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड बनने के बाद एक राजकीय डिग्री कॉलेज खोला गया था और वह राजकीय डिग्री कॉलेज, ब्लॉक के पशु चिकित्सालय, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में था उसमें वह चल रहा है वह पी0डब्ल्यू0डी0 की जमीन है और वह पी0डब्ल्यू0डी0 की जमीन उस महाविद्यालय के नाम स्थानान्तरित नहीं हुई है उसके बावजूद वहाँ तीन छोटे–छोटे रूम, जो बिल्कुल टूटे–फूटे हैं जो 8/10 और 10/15 के हैं उसमें स्टाफ बैठता है। मान्यवर, 7 का स्टाफ है उनकी सैलरी मेरे हिसाब से 40–50 हजार रुपये जाती होगी, वहाँ साढ़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आठ सौ की संख्या में मेरे छोटे भाई–बहन, जिनका दाखिला वहाँ हुआ है, वे वहाँ धूप में बैठते हैं, उसमें करीब साढ़े तीन सौ के करीब छात्रायें हैं। उनके ट्वाईलेट जाने के लिए भी कुछ नहीं बना है, यह मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, यह मेरे क्षेत्र की बात है और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वह भूमि पी0डब्ल्यू0डी0 से उस राजकीय डिग्री कॉलेज के नाम स्थानांतरित होनी चाहिए और वहाँ अविलम्ब बिल्डिंग बननी चाहिए, अभी वहाँ जो परीक्षा हुई तो उन साढ़े आठ सौ बच्चों ने टैण्ट लगाकर अपनी परीक्षा दी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जमीन कब तक स्थानान्तरित हो जायेगी और कब बिल्डिंग बननी शुरू होगी। धन्यवाद।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, राजकीय महाविद्यालय लक्सर की स्थापना वर्ष 2001 में हुई। राजकीय महाविद्यालय लक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्सर के पुराने भवनों में संचालित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्सर, जिसमें कि प्रश्नगत महाविद्यालय संचालित है, की कुल भूमि का क्षेत्रफल 9720 वर्ग0मी0 है। उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। उक्त भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज कराये जाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। प्रश्नगत भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज होने के उपरान्त ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्सर के पुराने भवन को ध्वस्त कर नवीन भवन का निर्माण किया जा सकेगा। किसान इण्टर कॉलेज की 1.00 हेक्टेयर भूमि को राजकीय महाविद्यालय लक्सर के नाम दर्ज कराये जाने हेतु भी विभाग के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय लक्सर हेतु भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही भवन निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, कितना समय लगेगा, क्योंकि साढ़े आठ सौ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ इस क्षेत्र में निश्चित रूप से 20–25 गांव ऐसे हैं, जिनमें कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन

10–11 हाथी झुण्ड के रूप में उस विधान सभा क्षेत्र में न आते हों और किसानों की 30–40 बीघा जमीन को तहस–नहस करके न जाते हों। चाहें तो इस बात की पुष्टि अधिकारियों से करवा लें। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15–20 बीघे वाले छोटे–छोटे किसान रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस खेत के अन्दर दो–तीन हाथी घुस जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वह खेत सुरक्षित नहीं रहता है, फसल को हाथी तहस–नहस कर देते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने अधिकारियों से भी बात की है। अधिकारीगण कहते हैं हमने सरकार को प्रपोजल बनाकर भेजा हुआ है, हम 14 किलोमीटर की तार–बाड़ करने जा रहे हैं।

मान्यवर, इसके बाद अधिकारी हरिद्वार के लिए भी कहते हैं कि हम एक दीवार किसानों की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तारबाड़ का कार्य कब शुरू किया जायेगा और जिस दीवार को बनाने की बात अधिकारीगण कहते हैं वह दीवार का कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि प्रदेश में जंगली जानवरों के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति पहुँचाये जाने पर शासनादेश जुलाई, 2005, 01 फरवरी, 2007 एवं 11 सितम्बर, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार आर्थिक अनुग्रह राशि प्रभावित परिवारों को सहायतार्थ निम्न प्रकार से उपलब्ध करायी जाती है। मान्यवर, बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, लकड़बघा, भालू, हाथी, मगरमच्छ या घड़ियाल द्वारा मानव क्षति पर देय अनुग्रह राशि के लिए क्षति राशि गम्भीर रूप से घायल के लिए 15000/–, आंशिक रूप से अपंग 25000/–, पूर्ण रूप से अपंग 1,00000/– वयस्क एवं अवयस्क की मृत्यु पर 1.00000/– दी जाती है। मान्यवर, इसी प्रकार बाघ, तेंन्दुआ, भालू, स्नो लेपर्ड तथा जंगली सुअरों द्वारा पालतू पशुओं के मारे जाने पर देय अनुग्रह राशि इस प्रकार है–गाय 3000/–, घोड़ा, खच्चर 5000/–, बैल 5000/– भैंस 5000/–, गाय का बछड़ा/बछिया तथा भैंस का पड़वा/पड़िया एवं दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम आयु हेतु 1200/–, एक वर्ष से दो वर्ष की आयु हेतु 500/–, एक वर्ष से कम आयु तक 300/– बकरी, भेड़ 500/– देते हैं। मान्यवर जंगली हाथियों तथा जंगली सुअरों के द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुँचाए जाने की दशा में देय अनुग्रह राशि गन्ना हेतु 4000/– प्रति एकड़, धान/गेहूँ/तिलहन हेतु 3500/– प्रति एकड़ तथा उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की फसल हेतु 2000/– प्रति एकड़ देते हैं। मान्यवर, जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति पहुँचाये जाने की दशा में देय अनुग्रह राशि कच्चा मकान पूर्ण रूप से क्षति में 5000/– कच्चा मकान आंशिक रूप से क्षति में 2000/–, झोपड़ी, टट्र से

निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर 1000/– की व्यवस्था है। मान्यवर, जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने पर संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों के अनुसार अनुग्रह राशि अनुमन्य करायी जाती है तथा जंगली जन्तुओं से फसल की सुरक्षा हेतु स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से वन क्षेत्रों में वापस भेजने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त चिन्हित क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बाड़ लगाये जाने एवं सुरक्षा दीवार निर्मित किये जाने तथा हाथी अवरोधक खाई बनाये जाने की कार्यवाही भी की जाती है।

मान्यवर, मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रति इस संवेदनशीलता को देखते हुए गंगा नदी से लगे उक्त 16 ग्रामों को चिन्हित कर इस क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 2012–2013 में लगभग 14 किमी0 लम्बाई में सौर ऊर्जा बाड़ स्थापित किये जाने हेतु कैम्पा योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, जंगली जानवरों द्वारा जान–माल को क्षति पहुंचाये जाने पर प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि में दरों में वृद्धि किये जाने एवं मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम हेतु कॉर्पस फण्ड का गठन किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है एवं शीर्ष प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, यह सही है कि काफी नुकसान हो रहा है। मान्यवर, यह प्रस्ताव किया गया, हमारे क्षेत्र में भी किया गया। गहरी खाईयाँ खोदी गयीं, फिर भी जानवर नहीं रुके, मोटी दीवार बनाई गयी, फिर भी जानवर नहीं रुके, उन्होंने दीवार भी तोड़ दीं। सौर ऊर्जा के संयंत्र भी लगाए गये लेकिन ग्रामीणों को उनका रख–रखाव सौंपा है और उनका रख–रखाव सही से होता नहीं है। इसमें बिजली के द्वारा भी तार–बाड़ लगाए गये, उसकी नियमित देख–रेख का जो दायित्व सौंपा जाता है, विभागीय या व्यक्तिगत, यदि उसका निर्वहन किया जाय तो सौर ऊर्जा तथा बिजली के तार–बाड़ से करंट का डर होता है। खाई खोदने का लाभ हुआ, कुछ कम आना हो गया लेकिन दीवार और खाई खोदने से जो जंगली जानवर हैं, खासकर हाथी दीवार तोड़ देता है और अगर खाई ज्यादा गहरी है तो कोई अन्य माध्यम ढूँढ लेता हे। यह सही है कि चाहे बन्दर हों, बन्दर आपने नहीं लिखे हैं, बन्दर भी हैं, सबके द्वारा क्षति होती है और जो केवल खेती पर निर्भर होते हैं, उन्हें भारी क्षति है। जो मुआवजे की राशि है, उससे किसान का पूरा नहीं होता है, यह सही है, इस पर और गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और कोई फुलप्रूफ योजना बनाई जाएगी। अन्य राज्यों या अन्य देशों में क्या व्यवस्था लागू है, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा कि जानवरों को नियंत्रित करने की अलग व्यवस्था हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है, उसको देखा जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे फुलप्रूफ प्रयास किये जायेंगे। कुछ लोग इसमें लापरवाह भी हो जाते हैं बेचारे गाँववाले ही उन्हें हाँकते रहते हैं। इस तरफ से उस तरफ हाँकते रहते हैं, जितना हो जाए, तो भारी नुकसान होता है। इस सूचना को माननीय अध्यक्ष जी ने नियम–58 पर स्वीकार किया, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है, इस पर गंभीरता से और विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 में मुझे ग्रह्यता पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। श्रीमन्, उत्तराखण्ड के 7 जनपदों में 7 जुलाई, 2011 को निदेशक, संस्कृत शिक्षा के द्वारा आउट सोर्सिंग से यह डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की भर्ती की गयी थी। मान्यवर, उनमें से कुछ उपनल के माध्यम से लिए गये थे और कुछ पी0आर0डी0 के माध्यम से लिए गये थे। इनकी जो नियुक्ति की गयी थी, पूरी विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से की गयी थी और जो आदेश इनको दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जब विभाग की नियमित भर्ती होगी, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। मान्यवर, इसके लिए वे पूरी तरह से तैयार थे कि जब कोई विभागीय नियुक्ति होगी या जब नियमानुसार चयन प्रक्रिया होगी और उसमें जो लोग चुन कर आएंगे, तो हमको हटा दिया जाएगा। 8 महीने इन्होंने बहुत लगन से, कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम पूरा किया लेकिन अचानक नई सरकार आयी और इन्होंने उनको हटा दिया। श्रीमन् उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी क्योंकि वे पहले से तैयार नहीं थे, उनको मालूम था कि जब नियमित चयन प्रक्रिया होगी तभी हमको हटाया जाएगा लेकिन न तो कोई ऐसी प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं की गयी है, जो सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हैं, उनकी आवश्यकता है विभाग को, उनके बिना काम ठप हो गया है, उनके परिवारीजनों के भूखों मरने की नौबत आ गयी है क्योंकि वे पहले से तैयार नहीं थे। श्रीमन् जहाँ एक ओर सरकार बेरोजगारी भत्ता देने को तैयार है, उसके लिए नियम बनाने को तैयार है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे वहीं दूसरी ओर जो लोग रोजगार पर लगे हैं, उनको बिना कारण के हटा रही है। इससे अधिक महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय तात्कालिक और कोई विषय नहीं हो सकता। श्रीमन्, आज इस विषय पर सभी नियमों का निलम्बन करते हुए चर्चा की मांग करती हूँ।

कृषि मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षाधिकारी कार्यालयों में 13 कनिष्ठ सहायक, सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद सृजित हैं, इन पदों पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की के माध्यम से नियमित चयन कराये जाने हेतु अधियाचन भेजा गया। (व्यवधान) मान्यवर, यह जो डाटा इन्ट्री आपरेटरों की भर्ती की गई, उसका चयन का आधार यह है कि जिन 13 जनपदों में कनिष्ठ सह डाटा इन्ट्री आपरेटरों का जो मामला था, उसमें हमारे विभाग में जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की से चयन प्रक्रिया की गई थी और इनका जब चयन किया गया था तो उस समय साफ कहा गया था कि इनका चयन नितान्त अस्थाई है, चूँकि यह प्रक्रिया हमारे विभाग में जारी है कि

जो सहायक निदेशकों के पद वहाँ पर रिक्त हैं, उन पर अधियाचन जा चुका है। इसी वजह से उनकी प्रत्याशा में इनको हटाया गया, सरकार की मंशा यह नहीं है कि उनको बिलकुल हटा दिया जाए, सरकार की मंशा यह है कि जब तक वह पद रिक्त थे और अधियाचन नहीं गया था, उसी के तहत यह प्रक्रिया जारी थी।

श्री विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, कब तक नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, अधियाचन जा चुका है, अर्थात् नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को आग्रह्य करता हूँ।

*श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के अन्तर्गत मेरी सूचना को स्वीकार करते हुए मुझे बोलने को अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो काश्त की जमीन है, वह दिन–प्रतिदिन घटती जा रही है। क्योंकि कहीं पर आवासीय कालोनियां बननी शुरू हो गई हैं और कहीं पर बाढ़ की वजह से कटाव हुआ है और पिछले दिनों जो दैवीय आपदा आई, उससे भी काफी कटाव हो गया है। जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर के अन्तर्गत मेरी विधान सभा सहसपुर में कई गांव ऐसे हैं, जहां पर लगभग काश्त की जमीन बह गई है और यदि हमने वहाँ पर तटबंध की व्यवस्था नहीं की तो समस्या और विकराल हो जायेगी। वहाँ पर तीन बड़ी नदियां पड़ती हैं, शीतला, आसन और शारण। क्योंकि अब 5–10 दिन में बरसात शुरू होने वाली है और उसका पानी गाँव में घुसने की स्थिति में है, क्योंकि पूरी जमीनों का कटाव हो गया है। अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर के अन्तर्गत ग्राम गणेशपुर की आबादी और कृषि भूमि की गुलीराव से सुरक्षा हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा का 9.25 लाख रुपये का कार्य कराया जा चुका है। ग्राम रामपुर की आसान नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु एक योजना 56.78 रुपये की तैयार कर ली गयी है। ग्राम लक्ष्मीपुर, जस्सोवाला आदि गांव की सुरक्षा हेतु एक योजना रुपये 1069.00 लाख गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को प्रेषित की गई है।, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम शेरपुर एवं पीरवाली की बाढ़ सुरक्षा हेतु रुपये 9.93 लाख की योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। ग्राम जस्सोवाला हेतु शीतलाराव नदी के दांये और बांये किनारे पर बाढ़ सुरक्षा हेतु दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत क्रमशः रुपये 9.87 लाख एवं रुपये 9.48 लाख की योजनाएं जिलाधिकारी, देहरादून को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गई हैं। सिंहनीवाला एवं कुन्जा ग्रामों हेतु वर्तमान में बाढ़ सुरक्षा की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

मान्यवर, जो जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजी गई है, वह तत्काल कराई जाए, इसके लिये मैं यहां से निर्देशित करती हूँ और चूँकि बरसात आने वाली है, यह जनहित का कार्य है, इस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

मान्यवर, क्योंकि 5–10 दिनों में बरसात शुरू होने वाली है, तीन–चार गांव तो ऐसे हैं, जहां तटबंध अतिशीघ्र नहीं लगे तो पानी गाँव में घुसने वाला है, तो क्या बरसात से पहले यह कार्य हो जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने बताया कि पूरा प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, आपने नियम–58 में मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ और मेरी प्रार्थना भी है। मान्यवर, चूँकि प्रश्नकाल में सभी सदस्यों का नम्बर नहीं आता है, अपने क्षेत्र की आवाज, अपने क्षेत्र की बात कैसे बोलें। आप हमारे संरक्षक हैं महोदय, आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो पूरा सिंचित एरिया है, जो हमारी मुख्य आजीविका है। मटर, टमाटर और धान वर्तमान में टमाटर की फसल चल रही है। रोपाई का समय आ गया है। धान की पौध सूख गयी है। हो सकता है कि पुरोला विधान सभा का नहीं, पूरा प्रदेश का मामला हो सकता है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में ढालदार भूमि है और जितनी सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग की नहरें हैं, लगभग–लगभग सभी क्षतिग्रस्त हैं सबका जो हेड है, जहां से पानी का स्रोत है, सबका हेड खत्म हो चुका है और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार काम करना चाहती है तो उससे लाभ नहीं होने वाला, चूँकि रोपाई का समय आ गया है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि हमारा रोजगार सिर्फ काश्तकार है, विकास खंड मोरी हो, पुरोला हो, नौगांव हो, जहां का लाल चावल देश ही नहीं, पूरे विश्व में

विख्यात है। ढाई सौ रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है और मेरे विधान सभा से 10 ट्रक टमाटर प्रतिदिन मंडियों में आता है। आजकल मान्यवर, यह स्थिति है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं है। सब टमाटर की फसल सूख गयी है, धान की पौध सूख गयी है। मैंने अपने प्रयास से निवेदन किया है कहीं–कहीं पर एक–दो जगह हेड नहीं है मान्यवर, पाइप द्वारा पानी ला रहे हैं, लेकिन पूरे विधान सभा की स्थिति विकट हो गयी है, भुखमरी के कगार पर आने वाले हैं, हमारे लिए रोजगार का साधन वही है। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि वहां तुरन्त 2–2, 4–4, 10–10 पाइप, कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हजार पाइप दे दो, जहां पर जरूरत है वहां पर 2–2, 4–4 पाइप पहुँचाए जाएं ताकि 1–2 दिन मे पाइप पहुँच जाएं और लोगों की धान की पौध बच जाय। एक हफ्ते में धान की रोपाई शुरू होने वाली है। टमाटर नष्ट हो गया मान्यवर, ये मेरी प्रार्थना है आपसे और इससे बड़ा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, चूँकि यह आजीविका है। मेरी विनती है मान्यवर, सरकार तुरन्त व्यवस्था करे। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, तुरन्त पाइप पहुँचाए जाएं 2–2, 4–4 पाइप सब जगह, ताकि धान की रोपाई हो जाए। मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूँ मान्यवर, और उम्मीद भी करता हूँ कि सरकार ऐसा आदेश करे कि एक–दो दिन में पाइप पहुँच जाएं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी के पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की भूमि हेतु सिंचाई विभाग द्वारा नहरों का निर्माण किया गया है। विगत दो वर्षों में आयी दैवीय आपदा से अधिकांश नहरें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। दैवीय आपदा एवं वार्षिक अनुरक्षण मद में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहरों की समुचित मरम्मत नहीं करायी जा सकी है। वर्तमान में धन की प्रत्याशा में वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कच्चे हैड बनाकर व नहरों में क्षतिग्रस्त स्थानों पर पाइप आदि लगाकर नहरों को चलाने एवं कृषकों को पानी उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, प्रयास में तो 01 महीना, 15 दिन लग जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, महत्वपूर्ण है, आपका बड़ा उपजाऊ इलाका है, मुझे मालूम है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर निर्देशित करने का काम करूँगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने नियम–310 की सूचना को नियम–58 में परिवर्तित करके ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। हरिद्वार शहर के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के सामने, शिप्रा टाकीज के सामने, ऋषिकुल विद्यापीठ के पास लगभग 150 से 200 दुकानदारों को हटाया गया। उनमें से लगभग 100 दुकानदार ऐसे थे, जिनको हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त था और उनको यह आदेश दिये गये थे कि हटाने से पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार जो ऋषिकुल विद्यापीठ से हटाये गये थे उनको भी यह आदेश प्राप्त थे कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था देकर ही हटाया जाए। आज ये जो लगभग 150 से 180 तक दुकानदार हटाये गये हैं, ये लोग वहाँ पर 40–50 वर्षों से अपनी जीविका चला रहे थे। आज इनके हटने के बाद इनके परिवार के सामने भूखों मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये लोग आज उस स्थिति में हैं कि जहाँ इनके सामने जीविका के साधन समाप्त हो गये हैं, वहीं इनके परिवार में बच्चों के एडमिशन और स्कूल में भेजना, परिवार में शादी विवाह आदि, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण, वे आज इस स्थिति से बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट में है। माननीय अध्यक्ष जी, एक ओर जहाँ इनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है वही दूसरी ओर जिन स्थानों पर से इनको हटाया गया है, चूँकि हरिद्वार नगर एक तीर्थ नगर है, लाखों तीर्थ यात्री रोज वहाँ पर आते हैं, उस स्थान पर जो मलबा था वह उसी स्थिति में आज भी पड़ा है, उसको वहाँ पर से हटाकर और जो सड़क की रोड़ वाइडनिंग पूरी होनी थी उसका काम भी इसी प्रकार से अटका हुआ है, इसमें केवल जो बिजली के पोल थे उनको हटवाने का काम की शुरुआत हुई है और वह हो गया है, बाकी जो रोड का काम है वह ज्यों को त्यों अधूरा पड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा विषय है, यदि यह सारी स्थिति नहीं थी, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी फिर उनको हटाने का औचित्य क्या था, लेकिन उनको हटाने के बाद निश्चित रूप से जो आज स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, पिछले लगभग दो–दो महीने, तीन–तीन महीने हो गये हैं वह सारे लोग वहाँ पर टेन्ट लगाकर क्रमिक अनशन पर, आमरण अनशन पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि कई बार उनको एस0डी0एम0 और डी0एम0 के द्वारा हटाया गया। वह लोग इस विषय को लेकर कई बार जिलाधिकारी से भी मिले और मैंने भी जिलाधिकारी से इस सम्बन्ध में कहा है। लेकिन केवल उनमें से कुछ दुकानदारों को नगर पालिका के एक प्रस्ताव के एकॉडिंग टिबरी में बसाने की बात और दुकानें देने की बात कही गई है। लेकिन उसमें केवल 80–90 दुकानदार आने की स्थिति में होंगे, बाकी जो बचे 100 और दुकानदार हैं उनको किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था दी जायेगी। इसमें खास तौर से माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यानाकर्षित करना चाहूँगा कि जो ऋषिकुल

विद्यापीठ है वहाँ के लगभग 70–80 दुकानदार हैं, बाकी लगभग 100 दुकानदार रोडवेज स्टेशन और चित्रा टाकीज के पास हैं। मान्यवर, यह विषय तात्कालिक है, लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

*शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री कौशिक जी ने नियम–58 में हरिद्वार शहर में अगस्त, 2010 में नगर में जलभराव की स्थिति से स्थानीय नागरिकों एवं हरिद्वार में आने वाले यात्रियों को निजात दिलाने एवं जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रखने एवं नाले की सफाई में उत्पन्न अवरोधों को हटाने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र में ज्वालापुर से हरकी पैड़ी मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण को हटाया गया था। जिनमें से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तत्कालीन, नगर पालिका वर्तमान नगर निगम के द्वारा 1935 के बन्दोबस्त के अनुसार खसरा नं0–1637 की टिबरी में रिक्त भूमि पर विस्थापितों को विकल्प के रूप में 15X10=150 वर्ग फुट का स्थान व्यवसाय हेतु आवंटित करने की कार्यवाही बनायी गयी थी परन्तु बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार द्वारा उक्त भूमि का स्वामित्व अपना बताकर मा0 सिविल जज, एस0डी0 हरिद्वार के न्यायालय में वाद दायर का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया, जिसके कारण अतिक्रमण में हटाये गये खोखा धारकों को व्यवसाय हेतु भू–खण्ड आवंटन की प्रक्रिया बाधित हो गयी। दूसरा आपने जो मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का मामला रखा उसमें भी नालों की सफाई नियमित रूप से कराई जा रही है। बाकी के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही यह वाद समाप्त होगा वैसे ही इनके लिए पुनः दुकानों का निर्माण करा लिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ यह सही है कि बी0एच0ई0एल0 ने इस पर स्टे ले लिया है। लेकिन वह जो लगभग 180 दुकानदार हटाये गये हैं और वाद बीस साल तक भी समाप्त नहीं होता है और वाद सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया है। मान्यवर, इससे बड़ा चर्चा का स्थान और कोई नहीं हो सकता है। आज वह 200 लोग मारे–मारे घूम रहे हैं। मान्यवर, आज निगम के पास जगह बहुत है। यदि आपके यहाँ से निर्देश हों कि इन सब जगह को तत्काल जिलाधिकारी चिन्हीकरण करें, खास तौर पर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऋषिकुल विद्यापीठ के 80 दुकानदार, 100 के लगभग चित्रा टाकीज, रोडवेज स्टेशन और रेलवे स्टेशन के हैं। इन 180 दुकानदारों को तत्काल कहीं पर जगह देकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट करा सकते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उनकी समस्या को समझते हुए हम बहुत जल्दी न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस चीज को खुद समझ सकते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि न्यायालय में मामला है। आप उनको दूसरी जगह दे दीजिए। आपको तो निर्देश जारी करने हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मामला न्यायालय में है। मैं यहां पर यह भी आश्वस्त करता हूँ अगर बहुत ज्यादा विलम्ब होगा तो उनकी परेशानी को देखते हुए और उसका परीक्षण करा लिया जाएगा, अगर अन्य जगह पर भूमि उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से उनके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो सड़क वैसे ही पड़ी है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उसमें कार्यवाही चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। अब हम अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई,)

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि लंच के बाद दोबारा मुझे आय–व्ययक पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि

हम लोग चुनाव जीतकर 5 साल पहले जीतकर आये थे और जो बजट पिछले 5 साल पहले नजर आया था, उसमें थोड़ा–बहुत परिवर्तन करके मुझे लगता है कि यह दोबारा बजट बना दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग जीतकर आये थे। हम लोग उधर बैठे थे और विपक्ष इधर बैठा था और यही प्रश्न होता था कि हमारे कार्यकाल में यह नहीं हुआ, तुम्हारे कार्यकाल में वो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि वही पाँच साल पहले की यादें दोबारा दोहराई जा रही हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि राज्य शैशव काल में है, वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं, पूर्ववर्ती राज्य के समय इस भू–भाग को विकास को पर्याप्त लाभ न मिल पाने, विभिन्न भौगोलिक व अन्य बाध्यताओं, सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षाकृत अधिक लागत न होने के कारण किसी चमत्कार की आशा नहीं की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, जब बजट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी चमत्कार की आशा इस बजट से नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बजट का कोई औचित्य है और यह बजट जो शुरू किया गया है उसमें पर्वतराज हिमालय से निवेदन किया गया है कि मेरी वाणी में प्रशस्तता और शुचिता दो। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश को भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो कम से कम सदन में माननीय वित्त मंत्री को तो होना चाहिए था, उनको उत्तर देना है, कोई तो नोट कर रहा होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। कोई तो नोट कर ही रहा होगा, मुझे लगता है कि इस प्रदेश को कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भाषण की शुरुआत जो की है उसमें उन्होंने पर्वतराज हिमालय से मांगा है कि मेरी वाणी को प्रशस्तता और शुचिता दो, आज प्रदेश को भाषण की जरूरत नहीं है, आज इच्छा शक्ति की जरूरत है, तो मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, जो आज हमारे प्रदेश की हालत है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी, क्योंकि सामान्य बजट चर्चा पर कल चर्चा होनी थी, कल चर्चा हो नहीं पाई इसलिए आज बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए एक माननीय सदस्य को केवल 10 मिनट का समय दिया जाएगा अपनी बात को रखने के लिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने अपनी बात कहना शुरू किया है, इतना बड़ा बजट है तो हम लोग अपनी बात नहीं कह पायेंगे तो कैसे होगा। मान्यवर, मुझे लगता है कि इस बजट में जो चर्चा की जाती है उसका कुछ फायदा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग जीतकर आये थे तो हमारा एक ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ था, उस ट्रेनिंग कार्यक्रम में बहुत पहुँचे हुए लोग आये थे, जो पाँच–पाँच, छः–छः बार विधान सभा के सदस्य रहे थे और उन्होंने हमको बताया था कि सदन में सीमित बात और स्पष्ट बात होनी चाहिए और बहुत लम्बे–लम्बे भाषण नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने पिछले पाँच साल में चुप बैठकर देखा है। हमसे कहा जाता था कि हमें एक बार टोकोगे तो मैं तीन घण्टे भाषण दूँगा, तो उस भाषण का फायदा क्या, जिससे प्रदेश को कोई फायदा मिलने वाला नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में साफ कहा गया है कि इससे कोई चमत्कार की आशा नहीं की जा सकती है। मान्यवर, आज जो अपने प्रदेश की हालत है, क्योंकि खाली भाषण से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ–

बन गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
आग मेरे सीने में हो या तुम्हारे सीने में ही सही,
हो कहीं भी आग, आग निकलनी चाहिए, आग निकलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस आग की जरूरत इस प्रदेश को है। माननीय अध्यक्ष जी, टनकपुर में अग्नि शमन का केन्द्र बना हुआ है और अभी मुझे पता चला है कि अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है लेकिन अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, आग बुझाने वाली गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आग बुझेगी, यह थोड़ी चिन्ता की बात है। मान्यवर, इसमें कहा गया कि जो कुल राजस्व व्यय है उसका लगभग वेतन में 53 परसेन्ट चला जाता है, जबकि वह 35 परसेन्ट होना चाहिए, 12वें वित्त आयोग की संस्तुति से अनुसार, तो इस पर काम करने की जरूरत है। मान्यवर, 35 परसेन्ट वेतन पर जाना चाहिए था पर 53 परसेन्ट जा रहा है, उसके बावजूद हमारे पहाड़ों में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, कई सरकारी ब्लाक में जो मुख्य विकास के कार्यालय हैं वहाँ पर अधिकारी लोग नहीं हैं।.......माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है, इससे मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना पर कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसे केन्द्र सरकार मानती है कि यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इसमें हर व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलेगा, परन्तु इसमें कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। हर गांव में 20–30 लाख रू0 प्रतिवर्ष जाना चाहिए, परन्तु अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी की वजह से गांवों में सिर्फ एक–एक और दो–दो लाख रू0 जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत

चिंता की बात है, इस बजट में केवल दीपावली में शक्कर से बनने वाली मिठाई को कर मुक्त किया गया है, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई फायदा होने वाला है। मान्यवर, पिछले बजट में आटा, सूजी और मैदा जैसी वस्तुओं पर से वैट हटाया गया था, जिसकी जरूरत हर गरीब तबके के लोगों को होती है, लेकिन इस बार छाते पर वैट हटाया गया है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सड़कों के बारे में मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ। 21वीं सदी आ गयी है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में केवल मेरे ही विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर विधान सभा में लोगों को 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चों को 5 से 6 किलोमीटर तक स्कूलों में पढ़ने के लिए पैदल चलना पड़ता है।

मान्यवर, 65 प्रतिशत वन क्षेत्र हमारे प्रदेश का है, इसके अलावा नदी, गदेरे और अन्य स्थान होने के कारण 80 प्रतिशत क्षेत्र हो जाता है। मान्यवर, पूरे देश को हम आक्सीजन दे रहे हैं इसके बावजूद ये वन हमारे लिए अभिशाप बन गया है आज भी हमारे लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है तो कम से कम 2 हजार करोड़ रू0 हमें ग्रीन बोनस के रूप में केन्द्र सरकार से मिलना चाहिए और हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। मान्यवर, इस बजट में बहुत सारी योजनाएं बनाने के लिए बातें हुई हैं कि बैंक से ऋण लेकर योजनाओं की पूर्ति की जाएगी। मान्यवर, चाहे महिलाओं को स्वरोजगार देने की बात हो, चाहे फ्रूट बीयर बनाने की बात हो, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ के लोगों को ऋण देने के लिए कोई भी बैंक तैयार नहीं हैं। यहां तक कि मैंने स्वयं पहाड़ में उद्योग लगाने की कोशिश की जबकि मैं स्वयं माननीय अध्यक्ष जी, 50 लाख से 60 लाख के बीच इनकम टैक्स भरता हूँ, इसके बावजूद पर्वतीय क्षेत्र के बैंकों ने कहा कि हम लोग ऋण नहीं दे सकते हैं। हमें इसके लिए एप्रूवल लेनी पड़ेगी और बहुत समय बीत जाने के बावजूद भी मुझे स्वयं ऋण नहीं मिला। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक नीतियां कैसे लागू होंगी, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत दिक्कत हैं, पर्वतीय लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है, इसके लिए कार्य करने की जरूरत है। मान्यवर, खाली भाषण देने और बजट में प्राविधान करने से, और योजना बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसके लिए जरूरत है कार्य करने की। मान्यवर, यह सकल रूप से घाटे का बजट है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, सरकार फिर भी आर्थिक मजबूती और विकास को गति देने के लिए संसाधन जुटाने तथा टैक्स लगाना ही, क्योंकि आज हम लोग साबुन ले रहे हैं, कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो साढ़े बारह प्रतिशत सर्विस टैक्स लगाकर हम लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। हम लोग तेल भी दस रू0 का ले रहे हैं तो उसमें भी साढ़े दस प्रतिशत टैक्स है। मान्यवर, खाली प्रदेश की जनता पर टैक्स बढ़ाकर ही हम लोग अपने को आर्थिक समृद्ध करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्य हो पायेगा।

मान्यवर, नयी-नयी योजनाओं को बनाने की जरूरत है हमारी जो विधायक निधि है, उस विधायक निधि को बढ़ाकर यदि हम लोगों पर भरोसा किया जाए, क्योंकि

हम लोग अपने–अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम बार–बार कहते हैं कि पलायन को हमें रोकना है, पहाड़ के पानी को रोकना है, पहाड़ की जवानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन यह सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं, इन कोरी बातों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने स्वयं कोशिश की, कि हम लोग काम करें। मान्यवर, मत्स्य पालन की हम लोग बात करते हैं, इसकी बहुत महत्वपूर्ण सम्भावनाएं पहाड़ में हैं। अगर हम नदी–नालों को रोककर छोटे–छोटे डैम बनाकर मत्स्य पालन का काम करें और अपनी विधायक निधि से हमें छूट मिले। चाहे यह छूट मत्स्य विभाग को मिले तो हम उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में हम चाहे कुछ भी करें, समय पर वर्षा होती नहीं है। अगर आदमी 15 किलो गेहूँ खेत में बोता है तो पक्की गारंटी नहीं है कि उसे उतना गेहूँ भी वापस मिलेगा। मान्यवर, अपने पुरखों की जमीन पर हम लगातार कार्य करते जा रहे हैं, इन पर नये तरीके से कार्य करने की जरूरत है। मान्यवर, एलोवेरा या घृतकुमारी एक ऐसा पौधा है जो आजकल बहुत प्रयोग में आता है। मान्यवर, बाबा राम देव जी स्वयं कहते हैं कि आप जितना पौधा पैदा करोगे मेरे यहां दे सकते हैं। मान्यवर, हमारे यहां आई0एम0पी0सी0एल0 जहां 200 तरह की जड़ी–बूटियां भी....

श्री अध्यक्ष–

मानलीय जीना जी, समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण मामले हैं, सुझाव हैं। मान्यवर, इस बजट का महत्व ही क्या है, जब हम लोग अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं। मान्यवर, यदि खाली तीन–तीन घंटे भाषण देने से यदि बजट की औपचारिकता पूरी होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, घृतकुमारी ऐसा पौधा है, जो यदि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में लगा दिया जाए, सिर्फ एक बार उसको लगाना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भीम लाल आर्य जी, माननीय जीना जी, आपके 10 मिनट का समय समाप्त हो गया है। कृपया बैठ जाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, फिर चर्चा का फायदा क्या है ? मान्यवर, कोई व्यक्ति 3–3 घण्टे बोले और हम 10 मिनट भी नहीं बोल सकते तो क्या फायदा है, इस पर चर्चा कराने का ? (व्यवधान) मान्यवर, हम महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं सरकार को।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाए।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि गदरपुर क्षेत्र में पिछले 7 दिन से गैस की सप्लाई नहीं हो पाई है।

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, नियम–310 में।

श्री अध्यक्ष–

अभी नियम–310 का समय नहीं है। (व्यवधान) कल सुबह दे दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है, 200 लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इससे अधिक तात्कालिक विषय और कोई नहीं हो सकता। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है, 200 लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि मेरी नियम–310 की सूचना को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 का अभी कोई समय नहीं है। (व्यवधान) कहीं बैठे हों, अभी नियम–310 का समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, हमारे उत्तराखण्ड के सभी विभागों के अधिकारियों के 9–9 बार ट्रांसफर हो रहे हैं। (व्यवधान) आज अधिकारी कार्य करने को तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, नियम–310 तो कभी भी सदन में उठाया जा सकता है, यदि कोई गंभीर मामला हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 उठाया जा सकता है लेकिन अभी कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे–

मानानीय अध्यक्ष जी, गदरपुर में लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। (व्यवधान) उनमें से कई हार्ट पेशेंट हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, यह सही है कि नियम–310 किसी समय भी दिया जा सकता है, लेकिन नियम–310 के अन्तर्गत इनकी सूचना है ही नहीं। अभी कोई घटना नहीं घटी है। (व्यवधान) माननीय भीम लाल आर्य जी। (व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे बड़ा तात्कालिक लोक महत्व का विषय दूसरा नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है, मैं 'वेल' में आना नहीं चाहता लेकिन आप बुलाना चाहते हैं तो मैं मजबूर हूँ। (व्यवधान)

हो चुकी है, पीर अब सुलह निकलनी चाहिए,

इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

सूरत है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम–310 किसी भी समय यदि गंभीर विषय हो तो लिया जा सकता है। माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डे जी ने एक विषय दिया है, वह तो आपकी इच्छा पर है, जैसा भी करेंगे, आपका आदेश सिर माथे। लेकिन एक नियम–310 की सूचना, मैं भी आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि इसी सदन में आज सुबह यह बात उठी कि एक मंत्री विदेश में हैं और उनके घर वाले उनकी लाल बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अभी–अभी फिर सूचना आ गयी है कि वे हरिद्वार में घूम कर धमकाने लग गये हैं कि क्या हुआ विधान सभा में बात उठी गयी है तो उठ गयी, हम तो इसका उपयोग करेंगे। यह तो कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह से इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आज ही मंत्री को बर्खास्त करे सरकार, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान) यह सदन की अवमानना है। इस तरह से लोग–बाग कहते रहें, मजाक बनाएं, माखौल बनाएं। यह तो नहीं चल पाएगा। बहुत मुश्किल की बात है। आपका स्पष्ट निर्देश आना चाहिए। इसमें चर्चा अब होनी चाहिए। अरविन्द जी की सूचना से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ, इसकी सूचना भी ली जाए और हमारी भी ली जाए। इस पर चर्चा कराई जाए। इस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। एक मंत्री के परिवार का आचरण बहुत ही अपमानजनक है। यह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये ओर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 03:45 तक स्थापित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, मैं नहीं चाहता कि कम से कम मेरी वजह से पूरे प्रदेश की व्यवस्था और यहाँ सदन की कार्यवाही स्थगित हो।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये आप।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जनहित के मामले में 200 लोग जहाँ आमरण अनशन पर बैठे हों, उससे बड़ी बात इस प्रदेश के लिए और क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

श्री डी0के0 जोशी, नौ सेना प्रमुख के शीघ्र ही पद भार ग्रहण किये जाने का बधाई संदेश

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, हम इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं नियम–310 वाला, हम लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा और आ गया है कि नियम–112 में बिना सूचना के प्रस्ताव लाने का, इसमें नियमावली में नियम–112 दिया जाता है तो धन्यवाद का प्रस्ताव है, संवेदना का है, बधाई का है, शुभकामना का है। तो आज एक बड़े हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी है कि पहले यहाँ पर श्री बी0सी0 जोशी जी थल सेनाध्यक्ष बने थे आज से कुछ साल पहले। अभी–अभी समाचार आया है कि उत्तराखण्ड के सभी नागरिकों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि उत्तराखण्ड के मूल निवासी श्री देवेन्द्र कुमार जोशी 31 अगस्त, 2012 के उपरान्त भारतीय नौसेना के प्रमुख होंगे। आज ही आया है, ये लगभग हो ही गये हैं। बस उनको सिर्फ चार्ज लेना है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से यह प्रस्ताव लाता हूँ कि उनको बधाई संदेश पूरा सदन यहाँ से प्रेषित कर दे। श्री जोशी अल्मोड़ा जनपद के लक्ष्मीपुर गाँव के मूल निवासी हैं तथा इनके द्वारा इण्टरमीडिएट की परीक्षा राजकीय इण्टर कालेज, नैनीताल से उत्तीर्ण की गयी। श्री जोशी प्रारम्भ से ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते थे। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कमीशन से नौसेना में सेवा का अवसर मिला। श्री जोशी के पिता श्री हीराबल्लभ जोशी मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सन् 1985 से वसन्त विहार, देहरादून में निवास कर रहे हैं। श्री देवेन्द्र जोशी, जो भारतीय सैन्य प्रमुख के रूप में श्री जोशी के बाद दूसरे उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं, सैन्य प्रमुख का पद सम्भालेंगे। यह सदन श्री जोशी के नौसेना प्रमुख बनाये जाने की घोषणा पर गौरवान्वित महसूस करता है एवं उत्तराखण्ड राज्य की जनता की ओर से बधाई प्रेषित करना चाहता है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

ठीक है, मान्यवर मैं सरकार की ओर से भी और अन्य दल की ओर से भी उन्हें बधाई देती हूँ और ये संदेश उनके परिवार वालों तक पहुँच जाए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 की सूचना पर हम कायम हैं। हम उसको लेंगे क्योंकि नई–नई सूचनाएं आ रही हैं जिससे पूरे प्रदेश का अहित हो रहा है। परन्तु उससे पहले हम चाहते हैं कि जो सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, चर्चा हो, ताकि प्रदेश का किसी तरह से अहित न हो।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

अब पाँच मिनट का समय दिया जायेगा प्रत्येक माननीय सदस्य को।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, पाँच मिनट में क्या चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप ही लोग व्यवधान बना रहे हैं। (व्यवधान)

*श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चर्चा में बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अचानक ही मेरा नाम आपके श्रीमुख से निकला, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कल तैयारी करके आया था, आज कुछ कागज–पत्तर भी नहीं लाया हूँ। यह जो बजट सरकार की ओर से आया है वैसे मैं 91 से इस सदन का सदस्य हूँ, लेकिन विपक्ष की तरफ से मुझे पहली बार ही मौका मिल रहा है और इस बजट को पढ़ने के बाद मैंने यह देखा कि उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि वो बजट मुझे पता है कि कांग्रेस ने रखा है। (व्यवधान) कांग्रेस क्या कर सकती है। (व्यवधान) जितना ये बोलेंगे मान्यवर, उतना समय बढ़ना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस को लगभग 35–40 सालों से ठीक से जानता हूँ। ये वही तो कांग्रेस है। (व्यवधान) मान्यवर, समय बढ़ेगा। पाँच मिनट कुल है। इतना साहस रखें, इतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माद्दा रखें, इतना धैर्य रखें कि पाँच मिनट दूसरे को सुन लें। मान्यवर, मैंने कहा कि यह वही तो कांग्रेस होगी जिसके रहते इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि देश के सोने को गिरवी रखना पड़ा। (व्यवधान) एक वो हैं देश के राजकोष का सोना गिरवी रखते हैं और एक ये हैं, जिन्होंने देश में 06 वर्ष बिना कर्ज लिये सत्ता चलाई। मान्यवर, 06 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शासन चलाने का मौका मिला। (व्यवधान) मान्यवर, वाजपेयी जी ने पोखरन में परमाणु विस्फोट करके दिखाया कि देश कैसे चलाते है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय डेढ़ सौ देशों ने प्रतिबन्ध लगाया और ऐसा प्रधानमंत्री जी, जिसने कहा कि जो करना है करो, हम अपने देश को अपने हिसाब से चलायेंगे। (व्यवधान) मान्यवर, जब–जब प्यास लगेगी हमको ही ढूंढोगे, क्योंकि हमारा जायका ही ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी को लोग अब तलाश कर रहे हैं। जब डेढ़ सौ देशों ने प्रतिबन्ध हटा करके हमसे संधि कर ली, तो ऐसी स्थिति में हमारे कांग्रेस के मित्र क्या बोलें, बनाया तो हमने ही था। (कांग्रेस के किसी माननीय सदस्य द्वारा बैठे–बैठे कहा गया कि बाबा राम देव के चरणों में तलाश रहे हो।) मान्यवर, हम किसी संत के चरणों में तो तलाश रहे हैं, इटली की महारानी के चरणों में तो नहीं तलाश रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, जब सारे देश हमसे मिल गये और सारे देश तारीफ करने लगे, तो ये कहने लगे कि परमाणु बम हमने बनाया। अगर आपने बनाया था तो फोड़ने का दम होना चाहिए। (व्यवधान) बनाने से कुछ नहीं होता है, किसी को बंदूक देने से वह बहादूर नहीं हो जाता, बंदूक चलाने के लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा तो तुम्हारी इटली की महारानी के पास गिरवी रखा हुआ है, तुम क्या चलाओगे। (व्यवधान) बात कर रहे हैं प्रदेश की, प्रदेश का निर्माण यहाँ के नौनिहालों ने, माताओं बहिनों ने ......(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यहाँ पर इटली की महारानी, इटली की महारानी कह रहे हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरे बयान को आप पढ़ लें, मेरे भाषण को आप दिखवा लें। मैंने कहा ही नहीं, कोई दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तो कहा, इटली की महारानी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मुझे नहीं मालूम था कि इटली की महारानी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने तो इटली की महारानी का जिक्र किया है। (भारतीय जनता पार्टी तथा सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) (घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे तथा नारे लगाने लगे और कागज फाड़कर ऊपर की ओर फेंकने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष, 2012–13 के आय–व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान–

अनुदान संख्या–05 निर्वाचन

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 98555 (नौ करोड़ पचासी लाख पचपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 98555 (नौ करोड़ पचासी लाख पचपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–07 वित्त,कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश ये यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 18778697 हजार (एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ छियासी लाख सतानवे हजार मात्र) से अनधिक स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 18778697 हजार (एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ छियासी लाख सतानवें हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2967817 हजार (दो सौ छियानवे करोड़ अठहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2967817 हजार (दो सौ छियानवे करोड़ अठहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–18 सहकारिता

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 296743 हजार (उन्तीस करोड़ सरसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 296743 हजार (उन्तीस करोड़ सरसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 6363521 हजार (छः सौ छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 6363521 हजार (छः सौ छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 7202267 हजार (सात सौ बीस करोड़ बाईस लाख सड़सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 7202267 हजार (सात सौ बीस करोड़ बाईस लाख सड़सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4625265 हजार (चार सौ बासठ करोड़ बावन लाख पैंसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4625265 हजार (चार सौ बासठ करोड़ बावन लाख पैंसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–25 खाद्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2617785 हजार (दो सौ इक्सठ करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2617785 हजार (दो सौ इक्सठ करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26 पर्यटन

पर्यटन मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 696518 हजार (उन्हत्तर करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 696518 (उन्हत्तर करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 668674 हजार (छियासठ करोड़ छियासी लाख चौहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 668674 हजार (छियासठ करोड़ छियासी लाख चौहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राजकुमार, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री हरबन्स कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री चन्द्रशेखर, श्री मदन कौशिक, श्री प्रेम सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री अजय टम्टा, श्री दलीप सिंह रावत तथा श्री मयूख सिंह की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी की सूचना, जो कि विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री अजय टम्टा की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में रा0उ0मा0वि0 लखनाडी, जू0हा0 लोद, रा0इ0का0 मनसारीनाला चौड़ा, कन्या इ0का0 सोमेश्वर आदि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद देहरादून में बरसात में रिस्पना व बिन्दाल नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु दोनों नदियों के किनारों पर जाल व पुश्ते लगाने की कार्यवाही बरसात से पूर्व किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

राजस्व एवं भू–प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

[रिस्पना नदी के तटों पर वर्ष 2010–11 तक एवं वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित कार्य निम्न विवरणानुसार कराए गए हैं–

1– रिस्पना नदी पर विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 तक 10.205 कि0मी0 लम्बाई में बाढ़ सुरक्षा के कार्य कराये गये हैं। उक्त सुरक्षात्मक कार्य जनपद देहरादून के आर्यनगर से रायपुर सड़क पुल तक, रायपुर सड़क पुल से कुष्ठ रोग अस्पताल तक, दून विश्वविद्यालय केदारपुरम, चीड़ोवाली से आर्यनगर तक एवं राजपुर फीडर ऐक्वाडेक्ट से दौड़वाला गांव तक कराये गये। वर्ष 2011–12 में रिस्पना नदी के दोनों तटों पर 1.177 कि0मी0 लम्बाई में कार्य कराये गये, जिस पर कुल ` 62.26 लाख व्यय किये गये।

2– रिस्पना नदी पर भगतसिंह एवं शिवपुरी कालोनी एवं विधान सभा के बायें तट पर 0.950 कि0मी0 लम्बाई में कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

बिन्दाल नदी के तटों पर वर्ष 2010–11 तक एवं वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित कार्य निम्न विवरणानुसार कराये गये हैं:–

1– बिन्दाल नदी के दोनों तटों पर विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 तक 3.576 कि0मी0 लम्बाई में बाढ़ सुरक्षा के कार्य कराये गये हैं। उक्त सुरक्षात्मक कार्य जनपद देहरादून के कांवली रोड से हरिद्वार बाईपास रोड तक एवं लौहारवाला में कराये गये। वर्ष 2011–12 में बिन्दाल नदी के दोनों तटों पर 0.300 कि0मी0 लम्बाई में कार्य कराये गये, जिस पर कुल ` 50.11 लाख व्यय किये गये, जिससे कांवली रोड से निरंजनपुर तक कार्य कराये गये।

2– बिन्दाल नदी के दोनों तटों पर कैन्ट रोड से चकराता रोड तक, चकराता रोड से कांवली रोड पुल तक, सहारनपुर रोड पुल से हरिद्वार बाईपास रोड तक, हरिद्वार बाईपास रोड से दौड़वाला, विजय कालोनी के नजदीक एवं गोविन्दगढ़ पर 21.650 कि0मी0 लम्बाई मे सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हरशीला पुडकूनी, रिखाड़ी–वाछम, धरमपुर, चुचेर–माज खेत तथा चुडियाधार–फरशाली–गुलेर मोटर मार्गों को पक्के मोटर मार्गों में परिवर्तित न करने से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)

[विधान सभा क्षेत्र कपकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त सूचना की स्थिति निम्नवत् है–

1, हरसिला से पुडकुनी मोटर मार्ग (कि.मी. 19.19)–

इस मोटर मार्ग के स्टेज–1 (कच्चे मार्ग) तक के कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से फेज–4 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, जिसका कार्य मार्च 2011 में पूर्ण हो चुका है। उक्त मार्ग के कि0मी0 1.00 में आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निर्माण कार्य मरम्मत मद में कराया जा रहा है। कि0मी0 1 से आगे मोटर मार्ग भारी वाहनों योग्य निर्मित है। मार्ग को पक्का करने हेतु स्टेज–2 के कार्य हेतु डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है।

2. धरमधर से माजखेत मोटर मार्ग कि.मी. (15.83)–

इस मोटर मार्ग के स्टेज–1 (कच्चे मार्ग) के कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से फेज–6 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है तथा 15 कि0मी0 तक निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य माह जुलाई 2012 तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्टेज –1 का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मार्ग को पक्का करने हेतु डी0पी0आर0 बनाया जाना प्रस्तावित है।

3. चूडियाघाट–फरसाली गुलेर मोटर मार्ग (बागेश्वर कपकोट तेजम मार्ग कि0मी0 29 से फरसाली पल्ली मोटर मार्ग) (कि.मी. 5.78)–

इस मोटर मार्ग के स्टेज–1 (कच्चे मार्ग) हेतु फेज–5 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कच्चा मोटर मार्ग वर्तमान में भारी वाहन हेतु उपलब्ध है। मार्ग को पक्का करने हेतु स्टेज–2 की डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है।

[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

4. रिलाड़ी से वाच्छाम मोटर मार्ग (कि.मी. 53.20)

इस मोटर मार्ग के स्टेज–1(कच्चे मार्ग) का कार्य पूर्ण हो चुका है। मार्ग के समरेखण में आ रहे 9 बड़े सेतुओं (मेजर ब्रिज) के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है। ये सेतु क्रमशः कि0मी0 1 (36 मी0 स्पान), कि0मी0 4 (36 मी0 स्पान), कि0मी0 19 (30 मी0 स्पान), कि0मी0 21 (48 मी0 स्पान), कि0मी0 22 (36 मी0 स्पान), कि0मी0 38 (42 मी0 स्पान), कि0मी0 42 (36 मी0 स्पान), कि0मी0 43 (42 मी0 स्पान), एवं बदियाकोट लिंक मार्ग के कि0मी0 8 (36 मी0 स्पान) में प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त सेतुओं के स्थान पर अस्थाई डाइवर्जन बनाकर हल्के वाहन हेतु यातायात चल रहा है तथा इन सेतुओं के निर्माण के पश्चात् मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा। मार्ग को पक्का करने हेतु स्टेज–11 के डी0पी0आर0 गठन का कार्य भी प्रगति पर है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाहन् 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनाँकः 06 जून, 2012

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 विधान सभा/652–06–03–2014–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)

छपने गया है 35 विधान सभा/652 दिनांक 20-3-2018 में आथर पास होकर आ गया था